सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 15/-
वार्षिक	₹ 150/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

मार्च, 2014 वर्ष 13 अंक 01

डरता हूँ मैं अल्लाह से

जा रहे हैं लोग मैं बैठा हूँ याँ
जब कि जाना मुझ को भी तो है वहाँ
कहते हैं कि क्यों नहीं जाते हो फिर
रिज़्क़ मेरा है अभी बाक़ी यहाँ
कहते हैं आँसू बहाते हो ये क्यों
क्या बताऊँ हाल अपना है अयाँ
कहते हैं उम्मीद रखना चाहिए
हाँ मगर याँ ख़ौफ़ भी तो है निहाँ
आसी हूँ, डरता हूँ मैं अल्लाह से
वह न बख़्शेगा तो जाऊँगा कहाँ
हैं शफीउल मुज़नबी प्यारे नबी
रख़ते हैं उम्मीद उन से आसियाँ
रहमतें या रब नबी पर हों सदा
मुल्को मिल्लत को मिले अम्नो अमाँ

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
अपराध और क़ानून	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	7
वर्तमान समाज के बिगाड़	मौ0 सै0 मु0 हमज़ा हसनी नदवी	9
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौ0 अली मियाँ नदवी रह0	10
इख़्लास और उसके बरकात	मौ0 सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0	13
इस्लामी भाई चारा	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	16
दुरूद व सलाम का बयान	अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा आलिमा	19
आज के युग में नारी	तहरीम मुशीर माही	23
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद	इदारा	30
इस्लाम और महिला	सैय्यद मुहम्मद नोमान जौरासी	31
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	33
तेरहवाँ वर्ष	सम्पादक	37
ऐलाने मिलकियत व अन्य	सम्पादक	38
अहले ख़ैर हज़रात से अपील		39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बकर:

अनुवाद : और बच्चे वाली औरतें दूध पिलायें अपने बच्चों को पूरे दो साल जो कोई चाहे कि पूरी करें दूध की मुद्दत[1], और लड़के वाले यानी बाप पर है खाना और कपड़ा उन औरतों का दस्तूर के मुवाफिक, तकलीफ नहीं दी जाती किसी को मगर उसकी गुंजाइश के मुवाफिक, न नुकसान दिया जाय माँ को उसके बच्चे की वजह से और न उसको कि जिसका बच्चा है यानी बाप को उसके बच्चे की वजह से[2], और वारिसों पर भी यही लाजिम है[3] फिर अगर माँ—बाप चाहें कि दूध छुड़ा लें दो साल के अन्दर ही अपनी खुशी और मश्विरे से तो उन पर कुछ गुनाह नहीं[4] और अगर तुम लोग चाहो कि दूध पिलवाओ किसी दाया (दूध पिलाने वाली) से अपनी औलाद को तो भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं, जबकि हवाले कर दो जो तुम ने देना ठहराया था दस्तूर के मुवाफिक[5], और ड़रो अल्लाह से और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को खूब देखता है(233)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. माँ को हुक्म है कि अपने बच्चे को दो साल तक दूध पिलाये और यह मुद्दत उसके लिए है जो माँ बाप बच्चे के दूध पीने की मुद्दत को पूरा करना चाहें वरना उसमें कमी भी जायज़ है जैसा कि आयत के आखीर में आता है, और इस हुक्म में वह माँयें भी दाखिल हैं जिनका निकाह बाकी है और वह भी जिनको कि तलाक़ मिल चुकी है या उनकी इद्दत भी गुज़र चुकी हो, हाँ इतना फर्क होगा कि खाना कपड़ा मनकूहा (जो निकाह में हो) और मोतद्दा (जो तलाक़ के बाद इद्दत गुज़ार रही हो) को तो देना शौहर को हर हाल में लाज़िम है दूध पिलाये या न पिलाये, और इद्दत खत्म हो चुकेगी तो फिर सिर्फ दूध पिलाने की वजह से देना होगा, और इस आयत से यह मालूम हुआ कि दूध की मुद्दत को जिस माँ से पूरा कराना चाहें या जिस सूरत में बाप से दूध पिलाने की मजदूरी माँ को दिलवाना चाहें तो उसकी इन्तिहा दो साल कामिल हैं यह मालूम नहीं हुआ कि अलउमूम दूध पिलाने की मुद्दत दो साल से ज़्यादा नहीं।

2. यानी बाप को बच्चे की माँ को खाना कपड़ा हर हाल में देना पड़ेगा, पहली सूरत में तो इसलिए कि वह उसके निकाह में है, दूसरी सूरत में इद्दत में है और तीसरी सूरत में दूध पिलाने की उजरत (मजदूरी) देनी होगी और बच्चे के माँ—बाप बच्चे की वजह से एक दूसरे को तकलीफ़ न दें मसलन, माँ बिला वजह दूध पिलाने से इन्कार करे या बाप बिला सबब माँ से बच्चे को जुदा करके किसी और से दूध पिलवाये या खाने कपड़े में तंगी करे।

शेष पृष्ठ.....29 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

इश्राक़ और चाश्त की नमाज़ की फज़ीलत

—अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि मेरे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को हर महीने तीन रोज़े (इससे अय्यामे बीज़ यानी तेरह, चोदह, पंद्रह की तारीखें मुराद हैं) रखने और दो रकअत चाश्त की नमाज़ पढ़ने और सोने से पहले वित्र पढ़ने की वसीअ़त फरमाई।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

हज़रत अबू ज़र रज़ि0 से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम में से हर आदमी के जोड़ जोड़ पर सद्क़ा वाजिब है तो सुब्हानल्लाह (ये हल्लाह तेरी ज़ात पाक है) कहना सद्का है, अलहम्दुलिल्लाह (सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं) कहना सद्का है, लाइलाहा इल्लल्लाह (अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं) कहना सद्क़ा है, नेकी का हुक्म देना सद्क़ा है, बुराई से रोकना सद्क़ा है और उन सब का बदला चाश्त की दो रकअतें हैं।

(मुस्लिम)।

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चाश्त की चार रकअत पढ़ते थे उसके बाद अल्लाह की जो मंशा होती थी और ज़्यादा भी पढ़ते थे।

(मुस्लिम)।

हज़रत उम्मे हानी फाखता रज़ि0 बिन्त अबी तालिब से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास फतेह मक्का के दिन गयी, आप गुस्ल फरमा रहे थे, जब आप गुस्ल से फारिग़ हो गये तो चाश्त की आठ रकअ़तें पढीं।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने कुछ लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो कहा तुम लोग समझ लो कि इस समय के अलावा भी एक समय है जिस की ज़्यादा फज़ीलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अव्वाबीन की नमाज़ उस समय भी है जब ऊँट के बच्चे गर्मी की शिद्दत से ज़मीन पर पैर न रख सकें।

(मुस्लिम)।

तहय्यतुल मस्जिद— हज़रत अबू कतादा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न फरमाया कि मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ लो।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया आप उस समय मस्जिद में तशरीफ रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया दो रकअ़त नमाज़ पढ़ लो।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

शेष पृष्ठ.....15 पर

अपराध और क़ानून

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

मैं रात सोते से जग गया, कुछ देर तक अपने मालिक की याद में लगा रहा, फिर मेरे मन में आने लगा कि यदि समाज के लोग बुरे काम न करें तो समाज सुख मय हो जाए, फिर ख़्याल में आने लगा परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। फिर सोचने लगा कि पाप कैसे होते हैं और पापियों से पाप कैसे छुड़ाये जा सकते हैं, मैं अपने इस सोच को लिखित रूप दे रहा हूँ।

सबसे पहले तो चोरी को लीजिए–

प्रायः चोर चोरी इसलिए करता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं कभी तो वह अपनी वैध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चोरी करता है तो कभी अवैध आवश्यकताओं के लिए भी चोरी कर लेता है। फिर जब वह अपने इस पाप में सफल हो जाता है तो बराबर चोरियाँ करता है फिर चोरी उसकी आदत और उसका व्यवसाय बन जाता है।

निवारण– चोरी को हर मनुष्य बहुत ही बुरा जानता है, हर धर्म उसे पाप बताता है, हर क़ानून उसे अपराध बताता है और उसके लिए दण्ड निर्धारित करता है, इस्लाम तो हाथ काटने का दण्ड देता है क़ानूनी सजाओं के डर से चोरी में कमी अवश्य आती है और इस्लामी क़ानून की सजा का तो यह प्रभाव होता है कि जहाँ यह कानून प्रचलित है वहाँ नाम मात्र ही चोरी की घटना होती है परन्तु चोरी समाप्त नहीं हो पाती बहुत से देश तो ऐसे हैं उनमें हमारा देश भी है जहाँ वकील महोदय चोर को साफ बचा लेते हैं। फिर भी क़ानूनी सजा चोरी पर रोक लगाने का एक उपाय है। वास्तव में क़ानूनी सज़ा के साथ, यदि मनुष्य में वास्तविक ईश भय (ख़ौफे ख़ुदा) पैदा किया जाए तो क़ानूनी सज़ा से यह कहीं अधिक प्रभावकारी होगा।

यही हाल सभी अपराधों का है, वह क़ानूनी सजा के डर से अपराध करने में हिचकिचाते अवश्य हैं परन्तु अपराध छोड़ते नहीं और अवसर मिलता है तो क़ानून की आँख से बच कर अपराध कर जाते हैं। एक और उपाय चोरी डकैती छुड़ाने में कारगर है वह यह की चोर व डकैत को किसी आय परद व्यवसाय से जोड़ दिया जाए। मैंने तीन नव युवक ऐसे देखे हैं जो अच्छे घराने से सम्बन्धित थे, वह अपनी खेती से अधिक धन न पैदा कर पाते थे, कोई नौकरी न थी, कोई हुनर न था उन्होंने चोरी से आगे डकैती भी शुरु कर दी, एक सज्जन को उन पर तरस आया उन्होंने उन तीनों को कोशिश करके ख़ाड़ी देशों में भेजने का प्रबन्ध कर दिया, वहाँ से उनको अच्छी आय मिलने लगी वहाँ उनको अच्छे लोगों की संगत भी मिली और उन्होंने अपराध छोड़ दिया।

क़ानूनी सजाएं अवश्य रहना चाहिए यद्यपि अपराधी बहुत कम क़ानून की पकड़

में आ पाते हैं परन्तु साथ में यह भी देखना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जिन की वैध आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, शासन को चाहिए कि उन के लिए नौकरियाँ या मज़दूरियां उपलब्ध कराएं, और निःसन्देह मनरेगा जैसी योजनाओं द्वारा शासन यह काम कर भी रहा है परन्तु ईश भय न होने के कारण इन में बराबर घपले की सूचनाएं सुनने को भी मिलती हैं।

हमारे बहुत से दानी धनवान भी चोरी डकैती जैसे अपराधों का कारण गरीबी समझते हुए अपना कुछ धन गरीबों पर व्यय करते हैं, परन्तु अच्छी बात यह होगी कि वह अपने धन से निर्धनों को किसी व्यवसाय में लगाने का प्रयास करें, और मैंतो कहूँगा कि क़ानूनी सज़ाओं (वैधानिक दण्ड) तथा आय के साधन उपलब्ध कराने के साथ ईश भय (ख़ुदा का ख़ौफ़) पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि निर्धनों को कार्य देना, या उनको किसी व्यवसाय से जोड़ना तो धनवानों और शासन का काम है, अपराध सिद्ध होने पर दण्ड देना भी शासन का काम है परन्तु यह ईश भय (ख़ुदा का ख़ौफ़) लोगों में कौन पैदा करे और इसकी क्या प्रक्रिया हो? अल्लाह का शुक्र है कि हमारा देश धर्मों का देश है यहाँ हर व्यक्ति कोई न कोई धर्म रखता है, यदि हर धर्म के गुरु जन ध्यान दें और प्रयास करें कि जो भी उनसे सम्पर्क करे उसे ईश भय की सीख दें तो समाज में ईश भय का प्रचलन हो सकता है। यह काम हर वह व्यक्ति भी कर सकता है जो करना चाहे, बस उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह ख़ुद ईश भय से अपराधों को त्यागे, जब स्वयं केवल ख़ुदा के ख़ौफ़ से अपराध छोड़ेगा तो जब दूसरों को पाप तथा अपराध करने पर ख़ुदा की पकड़ और उसके दण्ड से डरायेगा तो उस पर अवश्यक प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में हम मुसलमानों का कर्तव्य कुछ अधिक ही है कि मुसलमान तो हैं ही इसलिए कि वह संसार में भले काम फैलाएं भले काम करने को दूसरों से कहें, बुरे कामों से स्वयं बचें और दूसरों को बुरे कामों से रोकें।

यहाँ हम मुसलमानों को यह कदापि न सोचना चाहिए कि जो लोग ईमान ही नहीं रखते उनको अल्लाह का ख़ौफ़ कैसे दिलाएं। यह सही है कि जो ईमान नहीं रखते हमारे अक़ीदे के अनुसार वह आखिरत में नजात न पाएंगे, लेकिन चूंकि वह जिस नाम से जानते हों खुदा को मानते तो हैं और यह भी मानते हैं कि जिसको वह अपना स्वामी या ईश्वर मानते हैं वह अपराधों तथा पापों पर दण्ड देगा तो इससे लाभ उठाते हुए उनको सामाजिक बुराइयों से रोकने में क्यों न मदद लें इसलिए चाहे वह हिन्दू हों, जैनी हों, बौधी हों, मसीही हों, सिख हों हम उनको उनके स्वामी की पकड़ का भय याद दिला कर तमाम पापों तथा अपराधों से रोकने का काम लें। इसी प्रकार हम दूसरे धर्म वालों से अनुरोध करते हैं कि वह लोगों में पापों तथा अपराधों से दूर रखने की चेष्टा करें और समाज को शुद्ध तथा शान्तिमय बनाने में सहयोग दें।

❖❖❖

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

मआफ़ी का आम ऐलान–

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मआफी और अमन दिये जाने का दायरा उस रोज़ वसीअ़ (विस्तृत) फरमा दिया कि मक्के वालों में से सिर्फ वही शख़्स हलाक हो सकता था जो खुद ही मआफी और सलामती का खुवाहिशमंद न हो और ज़िन्दगी को बचाना न चाहता हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अहले लश्कर को हिदायत दी कि मक्के में दाखिल होते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी शख़्स पर हाथ उठायें जो उनकी राह में रुकावट बने और टकराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका भी हुक्म फरमाया कि मक्के वालों की अमलाक व माल के बारे में एहतियात बरती जाये उसमें ज़्यादती न की जाये[1]।

मंज़र यह था कि मुसलमानों के फातिहाना दस्ते समुन्द्र की मौजों की तरह बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। उनमें से मुखतलिफ क़बीले अपने अपने गिरोहों के साथ गुज़र रहे थे। जब कोई कबीला गुज़रता तो अबू सुफियान अब्बास रज़ि0 से उसका नाम मालूम करते तो कहते मुझे उस कबीले से क्या मतलब[2]। यहाँ तक कि आप सल्ल0 बज़ाते खुद अपने साथियों के बड़े मजमें में तशरीफ लाए, जो असलहा की ज़ियादती से सब्ज़ नज़र आ रहा था। यह मुहाजिरीन और अंसार का आंहनपोश (लोहाच्छादित) दस्ता था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने घेरे में लिए चल रहा था, अबू सुफियान ने यह मंज़र देख कर कहा खुदा की शान अब्बास यह कौन लोग हैं, उन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं मुहाजिर और अन्सार के जुलूस में तशरीफ लिये जा रहे हैं उन्होंने यह सुन कर कहा कि यह बड़ी ताकत और शानो शौकत इससे पहले हासिल नहीं रही। खुदा की कसम! ऐ अबु फज़ल! तुम्हारे भतीजे का इक़तिदार आज की सुबह कितना अज़ीम है, उन्होंने कहा "अबू सुफियान ये नबूवत का मोजिज़ा है[3]"।

मक्के में दाखिल हो कर अबू सुफियान ने बुलन्द आवाज़ से ऐलान किया कि ऐ कुरैश के लोगो! यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इतनी ताकत के साथ तुम्हारे पास आये हैं जिसका तुमको तजुर्बा न हुआ होगा और उस ऐलान का हवाला दिया कि अब जो अबू सुफियान के घर में आ जायेगा उसको अमान हासिल हो जायेगी। लोग यह सुन कर कहने लगे अल्लाह तुमको समझे तुम्हारे घर की हक़ीक़त ही क्या, कि हम सब को उस घर में पनाह मिल सके? फिर उन्होंने

1. सीरते इब्ने हिशाम 2/404
2. सीरते इब्ने हिशाम 2/405
3. सीरते इब्ने हिशाम 2/405

उस ऐलान का भी हवाला दिया जो अपने घर का दरवाज़ा बन्द कर लेगा उसको अमान मिलेगी, जो मस्जिद (मस्जिदे हराम) में चला जायेगा उसको भी अमान मिलेगी, चुनांचे लोग फैल गए और अपने अपने घरों और मस्जिदे हराम में पनाहगीर हो गए[1]।

दाखिले का नियाज़मन्दाना अंदाज़-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्के में इस शान से दाखिल हुए कि सर मुबारक बन्दगी व तवाज़ो (नम्रता) के ग़लबे से बिल्कुल झुक गया। क़रीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ठोड़ी ऊँट के कजावे से लग जाये, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दाख़िल होते वक्त सूरे फातिहा पढ़ रहे थे[2]।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुसलमानों की इस अज़ीम जमीअत के साथ मक्के में दाखिल हो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पिछले बीस साल की वह तारीख़ थी, जिसमें आपके मक्की हमवतनों ने आप और आपके मानने वालों के लिए वतन की सरज़मी को तंग बना रखा था और हर तरह की तकलीफ़ों में मुबतला कर रखा था, आप और आप के असहाब को ख़त्म कर देने की हर तद्बीर (उपाय) इख़्तियार कर चुके थे, जिसके नतीजे में आप को और आप से पहले आपके साथियों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया था। और वतन में आना और वहां अल्लाह के पवित्र घर की ज़ियारत और उसमें इबादत करना भी नामुमकिन बना दिया था, और वह इबादत जिसकी अरब के हर इलाक़े के बाशिन्दों के लिए मक्का आकर करने की आम इजाज़त थी और आप इस शहर में फातिहाना (विजेता के रूप में) दाख़िल हो रहे हैं और आप के और आपके साथियों के यह सब जानी दुश्मन अब बेबसी के साथ आप के फ़ातिहाना दाख़िले को बरदाश्त करने पर मजबूर हो रहे हैं।

मक्का जो जज़ीरतुल अरब का मरकज़ी और पुरअज़मत और रूहानी और सियासी लिहाज़ से कल्ब व ज़िगर की हैसियत रखता था वह जिसके इक्तिदार (सत्ता) में आ जाये तो उसको इस बात पर किस क़दर बड़ाई का एहसास होगा और वह किस क़दर गर्व करेगा और बड़ाई की शान से दाख़िल होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके बरख़िलाफ़ रवय्या इख़्तियार किया, इन्साफ़, बराबरी, तवाज़ो, नर्मी, बन्दा होने का एहसास कोई अन्दाज़ ऐसा न था जिसको आप ने इख़्तियार न फ़रमाया हो, आपने अपने किसी अज़ीज़ क़रीब को नहीं बल्कि हज़रत उसामा को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद रज़ि0 के साहबज़ादे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सवारी के पीछे जगह दी, बनी हाशिम और अशराफ़े कुरैश में से जिसकी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी

शेष पृष्ठ..... 12 पर

1. मुस्तदरक हामि 3/50
2. ज़ादुल मआद, भाग-3, पृ0 405

वर्तमान समाज के बिगाड़ के समाधान के लिए सबसे पहले अशलीलता पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है

—मौलाना सैय्यद मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी

आजकल के अख़बारात चाहे वह जिस भाषा से सम्बन्ध रखते हों, इस योग्य नहीं रह गये हैं कि घरों में उनका प्रवेश हो, गन्दे तथा अशलील विज्ञापनों तथा असभ्य घटनाओं को नाविल शैली में प्रस्तुत करना उनका स्वभाव बन गया है, विशेषकर जबसे देहली की वह हृदय विदारक घटना घटी है जिसने पशुओं को भी लज्जित कर दिया है। समाचार पत्रों ने इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करके उसके द्वारा अपने समाचार पत्र की वृद्धि को अपना साधन बना लिया है और शासन इतना विवष है कि लगता है कि भारत में कोई राज ही नहीं है, तथा देश स्वतः अशलीलता और अत्याचार की ढलान पर लुढ़कता चला जा रहा है। स्वयं रचित बुद्धि जीवी तथा राजनीतिक नेता समस्याओं पर भाषण दे कर बैठे रहते हैं। इससे अधिक कुछ करने और देश को भयानक विगाड़ से उबारने की उन को कोई चिन्ता नहीं। कुछ चिनतन करने वाले सज्जन कहते हैं कि केवल क़ानून से अपराध दूर न होंगे अपितु क़ानून का संचालन अवश्यक है परन्तु क़ानून को प्रचलित करने वाले समाज में वही हैं जो पहले से मौजूद हैं। वास्तव में समाज में ऐसा बिगाड़ और दीवार पैदा कर दिया है तथा टी0वी0 और गन्दगी फैलाने वाले अख़बारों द्वारा पैदा किया जा रहा है, छोटे—छोटे बच्चे और बच्चियों के मस्तिष्क में योनिक विष भरा जा रहा है, उसका परिणाम वही होना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है। ऐसे में सुधार कैसे हो?

समाज के बिगाड़ और विशेष कर नवयुवकों में अशलीलता को जो नवीन सभ्यता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उस को रोकने की आवश्यकता है। बड़े खेद की बात यह है कि समाज के इस बिगाड़ पर न शासन चिन्तित है न देश के बुद्धिजीवी और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई माता पिता इस सभ्यता पर कुछ अंकुश लगाने की बात करते हैं तो उसका कठोर विरोध किया जाता है और दक्यानूस (पुराने विचार वाला) तथा तंग नज़र (तुच्छ दर्शी) की उपाधि दी जाती है।

अशलीलता तथा दुष्कर्मों पर रोक लगाने के लिए शासन ने बड़ा कठोर क़ानून बनाया है परन्तु हाल यह है कि ऐसा लगता है कि समाज में बस अब दुष्कर्म ही रह गया है जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात होता है। वास्तव में बारूद और आग को पास पास करने का काम जारी है फिर जब धमाक़ा होता है तो शोर मचाया जाता है। पूरा देश इस हालत पर आह आह कर रहा है परन्तु किसी को न सुधार की चिन्ता है न विकार के कारणों पर ध्यान देने की फिक्र। समाज का सुधार जब ही सम्भव होगा जब अशलीलता पर रोक लगाई जाऐगी और समाज में संयम वाली सभ्यता लाई जाऐगी।

शेष पृष्ठ..... 36 पर

हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग़ होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

महर अनिवार्य परन्तु उसकी अधिकता अवांछनीय–

जहां तक महर का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा एक अलग रीति निर्धारित कर ली है। और उसकी अधिकता को गौरव तथा सम्मान का कारण और निकाह (विवाह) की दृढ़ता एवं स्थायित्व की प्रतिभूति समझा जाता है। यहाँ बहुत से महर कल्पित तथा फ़र्जी होते हैं और उसकी धनराशि इतनी अधिक होती है,जिसके अदा होने की कोई संभावना ही नहीं। पूर्व काल की अपेक्षा अब इसमें किसी हद तक यथार्थवादी विचारधारा को अपनाया जाने लगा है। शरीअत ने इस बारे में कोई विशिष्ट धनराशि का निर्धारण नहीं किया है, बल्कि इसको पति की हैसियत, सामाजिक तथा धार्मिक औचित्य पर छोड़ रखा है। हाँ, महर की कमी और उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण को पसन्द किया गया है। परन्तु इस बात को अवश्य निश्चित कर दिया है कि महर को पूर्णतया अदा करने का संकल्प हो, नहीं तो वह विवाह वैधानिक विवाह नहीं अपितु एक अवैधानिक सम्बन्ध तथा दुष्कार्य समझा जायेगा, और प्रत्यक्ष है कि यह उसी समय हो सकता है जब महर की धनराशि पति की अवस्थानुसार और उसके लिये अदा करने की सम्भावना हो।

सामने आने वाली अनेक नैसर्गिक घटनायें तथा उनके प्रति मुसलमानों की विशिष्ट कार्य पद्धति–

अब इस शुभ कार्य तथा आनन्दमय समारोह से निर्वित्त हो कर हम एक मुसलमान के जीवन में घटित होने वाली अनेक नैसर्गिक घटनाओं तथा विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जो हर इन्सान को पेश आती हैं, और यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें हिन्दुस्तानी मुसलमानों का अपना क्या विशिष्ट ढंग है, और ऐसे अवसर पर एक मुसलमान घर में क्या होता है।

बीमारी आज़ारी हर इन्सान के साथ लगी हुई है। एक मुसलमान के लिये इस दशा में भी नमाज़ की छूट नहीं। यह अवश्य है कि इस्लामी शरीअत (धर्मशास्त्र) ने इस बारे में बीमार को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं। यथा–वह मस्जिद जाकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के योग्य नहीं है, तो घर में इस फर्ज़ को अदा करे अर्थात घर में ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति है। यदि खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो बैठकर और अगर बैठ कर भी उसको नमाज़ पढ़ना कठिन है तो लेट कर यदि लेट कर भी नमाज़ से सम्बन्धित प्रक्रियायें पूरी नहीं हो सकतीं तो संकेत द्वारा नमाज़ पढ़ सकता है। यदि

वुज़ू या स्नान में पानी का प्रयोग उसके लिये हानिकारक है तो उसके स्थान पर तयम्मुम[1] की अनुमति है। जहाँ तक सम्भव हो शुद्धता एवं पवित्रता का आयोजन अनिवार्य है।

बीमार की अयादत[2] करना इस्लाम में बड़े सवाब का काम है, लेकिन इस बारे में निर्देश है कि बीमार के पास अधिक समय तक न बैठे, बस उसका हाल पूछ कर शीघ्र चला आये। प्रायः देर तक बैठने तथा लम्बी बातचीत करने से बीमार को या उसकी देखरेख तथा सेवा करने वालों को कष्ट होता है। परन्तु उस दशा में जब कि, रोगी किसी को देर तक पास रहने को सवयं पसन्द करे और दिल बहलाने की आवश्यकता हो।

मृत्यु की अवश्य भावी विकट समस्या और मुसलमानों की विशिष्ट कार्य पद्धतियाँ–

मनुष्य के जीवन में अन्ततः वह समस्या भी पेश आती है जिससे किसी प्राणी एवं जीवधारी को छुटकारा नहीं, और जिसमें किसी धर्म सम्प्रदाय एवं जाति पात का कोई मतभेद नहीं, अर्थात मृत्यु की अवश्य भावी परिस्थिति। एंव अवसर पर हिन्दुस्तानी मुसलमानों के घरों में क्या होता है, और उससे सम्बन्धित क्या विशिष्ट पद्धतियां एवं प्रणालियाँ हैं इनका एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

शुभांत की चिन्ता एवं उसकी तैयारी–

मुसलमान को (व्यवहारिक एवं अध्यात्मिक रूप से कोई विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थान न रखता हो) अन्त की बड़ी चिन्ता रहती है, अर्थात् उसे मुख्य रूप से इस बात का सोच रहता है कि वह इस संसार से ईमान के साथ विदा हो और उसका अन्त कलम–ए–शहादत, तौहीद एवं रिसालत के अक़ीदे पर हो। मुस्लिम समाज में, विशेषकर जहाँ कुछ भी धार्मिक शिक्षा का प्रभाव और पारलौकिक जीवन के प्रति चिन्ता पाई जाती है, यह प्रथा चली आ रही है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से दुआ के लिए निवेदन करता है या उसको किसी पुण्यात्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह उससे इस मनोकामना को व्यक्त करता है, कि दुआ कीजिए कि खात्मा बखैर हो या अन्त साधुपूर्ण हो और इसी को एक साधारण मुसलमान सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा सौभाग्य समझता है, और उसको सबसे अधिक इसी पर रश्क[1] आता है कि कोई मुसलमान कलमा पढ़ता हुआ और खुदा का नाम लेता हुआ संसार से विदा हो। जब मुसलमान का अन्तिम समय होता है और निज़ा[2] की अवस्था आरम्भ हो जाती है तो उस समय उसके निकट सम्बन्धी, मित्र जन और जो लोग उसके पास

---

1. वुज़ू तथा तयम्मुम का वर्णन आगे आयेगा।
2. किसी बीमार के पास जाकर हाल पूछन किसी प्रकार की सेवा के लिए अपने को प्रस्तुत करना और ठीक हो जाने की शुभकामना का प्रदर्शन करना।

1. ईर्ष्या अच्छे अर्थ में अर्थात दूसरे के किसी गुण को देख कर इस बात की इच्छा कि उसके गुण को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे बिना मेरे अन्दर भी वह गुण आ जाय। अनु0
2. बिल्कुल अन्तिम काल की अवस्था जब श्वांस लेने में परिवर्तन आ जाता है और कर्मेन्द्रियां एवं ज्ञानेन्द्रियां करीब–करीब जवाब दे देती हैं। आनु0

होते हैं, उसको कल्मा पढ़ने की ओर ध्यान दिलाते हैं अर्थात् वह ऐसी अवस्था में कल्मा (ला–इलाह–इल्लल्लाह–मुहम्म–दुर्रसूलुल्लाह) पढ़े या केवल अल्लाह का नाम लेता रहे। यदि उसकी ज़बान साथ नहीं देती, दुर्बलता अति अधिक होती है, या वाक्यशक्ति क्षीण हो जाती है तो उससे पढ़वाने के बजाए जो लोग वहां उपस्थित होते हैं, वे स्वयं कल्मा पढ़ने लगते हैं या अल्लाह के नाम का विर्द (जप) आरम्भ कर देते हैं। यदि इस बात का अनुभव होता है कि उसकी जीभ शुष्क है तो ज़म–ज़म[1] यदि यह घर में उपलब्ध है या अनार का शर्बत अथवा क्योड़ा आदि (रोगी की दशा तथा ऋतु अनुसार) उसकी हलक में टपकाया जाता है, पास वाले सूर–ए–यासीन[2] जिसकी इस अवसर पर पढ़ने की प्रमुखता है, पढ़ना आरम्भ कर देते हैं और जब बिल्कुल अन्तिम समय होता है या प्राण समाप्त हो जाते हैं तो उसका मुख काबे की ओर कर देते हैं।

तजहीज़ व तकफ़ीन[3] में सुन्नत का ध्यान–

देहान्त के बाद उसे नहलाने की तैयारी और कफ़न का प्रबन्ध शुरु हो जाता है। कफ़न में नए, पवित्र तथा सफ़ेद कपड़े का आयोजन किया जाता है। पुरुष के कफ़न में एक बिना सिला कुर्ता, एक तहबन्द तथा एक ऊपर की चादर होती है, और स्त्रियों के कफ़न में सिर बन्द अथवा कसावा और सीना बन्द की वृद्धि हो जाती है। ग़ुस्ल (स्नान) का भी एक विशेष ढंग है जिसका विवरण फ़िक्ह (धर्मशास्त्र) की किताबों में दिया गया है। ग़ुस्ल हर मुसलमान दे सकता है सदाचारी तथा ग़ुस्ल देने की पद्धति और सुन्नतों का ज्ञान रखने वाले द्वारा नहलाया जाना उत्तम समझा जाता है। ऐसे अवसर पर निकट एवं सगे सम्बन्धी और मित्र जन अपने प्रिय एवं मित्र की अन्तिम सेवा करना अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुत स्थानों पर इसके लिए नाई अथवा कुछ जातियों में एक विशिष्ट वर्ग की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, जिनका कार्य ही यही है और व्यावसायिक रूप में यही कार्य करते हैं।

---

1. मक्का मुकर्रमा का वह ऐतिहासिक एवं पवित्र कुंआ जिसका जल सहस्त्रों वर्ष से लाखों व्यक्ति पीते रहे हैं और संसार के कोने कोने से आये व्यक्ति ड्रमों में ले जाते रहे, उस जल को ज़म ज़म कहते हैं। पवित्रता के अतिरिक्त रसायनिक विशलेषण द्वारा अनेक मूल्यवान तत्व भी पाए जाने का प्रमाण प्राप्त हो चुका है। अनु0
2. कुरआन मजीद का एक अध्याय।
3. मुर्दे का नहलाना धुलाना तथा कफ़न पहनाना।

❑❑

जगनायक.....

यह इज़्ज़त किसी को नहीं अता फ़रमाया।

इसी तरह उसी फ़तह मक्का के रोज़ एक शख़्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने किसी मसअले में बात की तो आपकी अज़मत (महानता) के एहसास से उस पर कपकपी तारी हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम0 ने फ़रमाया डरो नही, इत्मीनान रखो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का लड़का हूँ जिसको सूखे गोश्त के टुकड़े पर गुज़ारा करना पड़ता था।

❑❑

इख़्लास और उसके बरकात व फायदे

प्रस्तुतिः जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी —मौ0 सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0

इख़्लास का परिणाम—

एक लम्बी हदीस जिसका संक्षेप यह है कि तीन आदमी बकरियाँ चराने जंगल गये, आराम करने की इच्छा से गार में आ गये कि अचानक एक चट्टान गिरी और गार का मुँह बन्द हो गया उन तीनों ने अपने अपने अच्छे आमाल के माध्यम से दुआ की कि ऐ अल्लाह मैंने फलाँ काम तेरे लिए किया था, अगर वास्तव में तेरे लिए किया हो तो इस मुसीबत से नजात दे दे, पत्थर थोड़ा सा खिसक गया, दूसरे ने अपना दूसरा अमल बताया कि ऐ अल्लाह अगर मैंने यह काम तेरे लिए किया हो तो मुसीबत टाल दे तो थोड़ा सा पत्थर और खिसक गया, तीसरे ने दुआ की ऐ अल्लाह फलाँ काम मैंने तेरे लिए किया हो तो यह पत्थर खिसक जाये और वह पत्थर वहाँ से खिसक गया, और तीनों निकल आये उन्होंने अपने उन आमाल का वास्ता इस्तेमाल किया जिसे वह समझते थे कि सिर्फ अल्लाह के लिए है, और उसमें और कोई मक्सद शामिल नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ने हम को अता फ़रमा दी। एक ने बताया कि मैं बकरियाँ चराने जंगल गया था, लौट कर आया तो देखा कि माँ बाप दोनों सो गये थे, उसने सोचा कि उन्हें जगाना या पहले खुद दूध पी लेना, और अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाये बगैर अपने घर वालों को पिलाना अच्छी बात नहीं, तो वह वहीं रात भर दूध लिये ख़ड़ा रहा, और वह लोग सोते रहे और बच्चे बिलकते रहे कि दूध पिला दो, लेकिन मैंने पिलाया नहीं, जब वह लोग जाग गये तो मैंने उनको पिलाया फिर सब को दिया, ऐ अल्लाह मैंने अगर तेरे लिए किया हो तो इससे नजात अता फरमा।

दूसरे ने यह हवाला दिया कि हमने कुछ मजदूर बुलाये और मज़दूर बुलाने के बाद शाम को सब की मजदूरी दे दी, एक आदमी अपनी मजदूरी लिए बिना चला गया, मैंने उसकी मजदूरी तिजारत में लगा दी, बड़ी बरकत हुई, गुलाम, जानवर, और रेवण बहुत हो गये बहुत दिनों के बाद वह अपने पैसे मांगने आया, मैंने कहा यह सब जो दिखाई दे रहा है सब तुम्हारा है, तो उसने कहा कि मजाक न उड़ाइये आप मेरा पैसा देदें मैंने कहा मैं तुम से मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैंने तुम्हारे उस पैसे को तिजारत में लगा दिया था, वह अल्लाह का बन्दा बिना कुछ छोड़े सब ले गया, और मैंने टोका तक नहीं, ऐ अल्लाह अगर मैंने यह तेरे लिए किया था तो इस मुसीबत से नज़ात अता फरमा।

तीसरे ने अपना वाकिया यूँ बयान किया कि मेरी एक चचाज़ाद बहन थी, मैं उसको बहुत चाहता था लेकिन वह हाथ नहीं आई थी, एक दफा वह बहुत परेशानी में पड़ गयी, उसको पैसों की ज़रूरत पड़

गई, अकाल (कहत) पड़ा मैंने कहा ऐसे तो देंगे नहीं इतने दिनों से तुम को चाहते थे, एक रात मेरे पास रहो तब पैसे देंगे, अब वह मज़बूर हो कर रात में आई, मैंने चाहा कि अपना काम करूँ तो वह रोने लगी, मैंने कहा कि हमने तो मजबूर नहीं किया, पैसे पर मुआमला है, तो उसने कहा, यह काम मैंने आज तक नहीं किया, अब पैसे की मजबूरी पर मैं फंसी हूँ, तुम अल्लाह से डरो! मैं फौरन हट गया, मैंने कहा वास्तव में ऐसी हो तुम? तुम ने ऐसा काम कभी नहीं किया? फिर मैंने कहा कि जाओ अल्लाह के लिए छोड़ते हैं और पैसे भी ले जाओ, और मैंने अल्लाह के लिए वह काम नहीं किया, अल्लाह ने मुझे बचाया ऐ अल्लाह अगर मैंने यह काम तेरे लिए किया है तो मुझे इस मुसीबत से नजात दे।

यह तीन चीजें उन्होंने पेश कीं, अल्लाह तआला ने पत्थर वहां से हटा दिया मालूम हुआ कि बन्दा जब अल्लाह के लिए काम करता है तो अल्लाह तआला उसको बहुत सी मुसीबतों से नजात अता फरमाता है, ऐसी मुसीबत होती है जो करीब आकर चली जाती हैं उसके इख़्लास की बरकत से, और आमाल इख़्लास के साथ किये हैं उनकी बरकत से अल्लाह तआला उसको नजात अता फरमाता है। इख़्लास की बरक़त से अल्लाह दुनिया में भी लाभ पहुंचाता है और इख़्लास न हो तो दुनिया में भी नुकसान होता है, उभर उभर के गिर जाता है, ऊपर जा जा के नीचे आ जाता है, यह इख़्लास न होने की अलामत है, इख़्लास वालों का हाल यह होता है कि वह हर हाल में तरक्की करते चले जाते हैं।

मक़बूल अमल–

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि0 फरमाते हैं कि एक व्यक्ति जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और उसने कहा कि हज़रत एक व्यक्ति दीन का कोई काम करता है और उस पर पैसा चाहता है, प्रसिद्ध भी चाहता है, तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया उसको कुछ नहीं मिलेगा, तीन बार सवाल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यही फरमाते रहे कि उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि देखो वही अमल अल्लाह तआला कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए हो और उसकी खुशनूदी चाही जाये। बाज लोगों के लिए आता है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी जान को खतरे में डाल कर जिहाद में जायेंगे लेकिन आप हम को इतने पैसे दें, उन्होंने कहा ठीक है हम इतने पैसे तुम्हें देंगे तुम जिहाद में जाओ। तो हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के लिए आता है कि जितने पैसे उनको मिले बस उनके लिए उतने ही हैं बाकी कुछ नहीं, न अज्र, न सवाब, अल्लाह के यहाँ उसका सारा अमल मिट्टी हो जायेगा, यहाँ तक कि शहीद भी हो जाता है तब भी बेकार है।

ऐसे ही हम लोग जो काम भी करते हैं, चाहे वह गैरों में हो या अपनों में अगर इस लिए है कि पैसा हासिल

करना है शौहरत हासिल करनी है, लोग बड़ा दाई कहें, और कहें कि इनके हाथ पर इतने लोगों न इस्लाम कबूल कर लिया, इतने मानने वाले हो गये, शोहरत हासिल हो गयी, सारा काम मिट्टी में मिल जायेगा और कोई लाभ आखिरत में हासिल न होगा इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है।

इस्लाह का सम्बन्ध एक से होना चाहिए–

यह बात की इस्लाह का तअल्लुक़ एक से रखे, इसमें भी वही मसलहत है जो एक डॉ0 से इलाज़ में, मसलन अगर आप किसी डॉ0 से कहें कि मैं आपसे भी दवा लेता हूँ और फलाँ डॉ0 की दावा भी खाता हूँ तो वह नाराज होगा और कहेगा उन्हीं की दवा लो, हाँ डॉ0 यह कह सकता है कि आप दूसरे डॉ0 से सलाह ले लें या दवा लें और बतायें न तो ठीक है लेकिन जिस तरह दो दवा खाने से भी नुक़सान का खतरा है, हाँ फायदा न होने पर जिस तरह डॉ0 बदल सकते हैं वैसे इसमें भी क्योंकि अस्ल मकसूद इस्लाह है और वह इस्लाही सम्बन्ध एक ही से होना चाहिए।

हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तआला फरमाता है कि जितने शुराक़ा है उन सब में सबसे ज़्यादा बेनियाज़ और सबसे ज़्यादा बेज़ार हूँ, जो ऐसा अमल करेगा कि मेरे साथ किसी और को भी शरीक करेगा, बस जाये, और उसीसे ले ले मैं उसको उसके शिर्क के हवाले कर देता हूँ इसीलिए हदीस में यह भी आता है कि जब अल्लाह तआला उनसे कहेगा तुम ने अपनी ज़िन्दगी जिसकी इबादत में गुज़ारी है उन्हीं से ले लो, तो जितने सलीब वाले हैं वह सामने सलीब पायेंगे और अल्लाह फरमायेगा उन्हीं से ले लो, और जो बुतों की पूजा करने वाले हैं उनको बुत नज़र आयेंगे उनसे भी वही कहा जायेगा। और जो ईमान वाले हैं उनसे भी सवाल होगा, कि तुम किसकी इबादत करते थे? किससे मांगते थे? वह कहेंगे हम तो एक ख़ुदा से मांगते थे किसी और से नहीं मांगते थे, हम किसी और के पास नहीं जायेंगे, और जाहिर है अल्लाह नज़र नहीं आयेगा, फिर अल्लाह तआला तजल्ली (प्रकाश) फरमायेगा, और कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारा अल्लाह, तुम मेरे साथ आओ।

जारी..... ❑❑

प्यारे नबी की प्यारी.....

तहय्यतुल वुज़ू– हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न हज़रत बिलाल रज़ि0 से फरमाया इस्लाम के बाद तुम ने जितने अमल किये हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिस अमल से तुम्हें उम्मीद हो मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज़ जन्नत में अपने आगे से सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ि0 ने अर्ज़ किया कि मैं ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जिससे मुझे उम्मीद हो, अलावा इसके कि रात दिन मैं जिस समय भी वुज़ू या गुस्ल करता हूँ तो उसके साथ जितनी भी नमाज़ अल्लाह ने मेरे लिए मुक़द्दर की है ज़रूर पढ़ता हूँ।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

❖❖❖

इस्लामी भाई चारा

—मौलाना बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी

इस्लाम ने अपने मानने वालों को महब्बत (मेल) की एक लड़ी में पिरो दिया, इस्लाम क़बूल न करने वाले अपने, बेगाने (पराये) हो गये, मगर इस्लाम क़बूल करने वाले पराए, सगे भाइयों से बढ़ कर हो गए। ख़ूनी रिश्ते का महत्व अपनी जगह माना हुआ है परन्तु इस्लामी रिश्ता ख़ूनी रिश्ते से बढ़ कर है ख़ूनी रिश्ता प्राकृतिक है, यह बुद्धि तथा ज्ञान से स्थापित नहीं होता, परन्तु ईमानी रिश्ता बुद्धि तथा ज्ञान के आधार पर स्थापित होता है। बुद्धि के मार्ग से ईमानी रिश्ते का प्रेम मन में उतर जाता है फिर कोई बड़ी से बड़ी शक्ति उसे अलग नहीं कर सकती, खूनी रिश्ते टूटते हुए देखे गये हैं परन्तु ईमान का रिश्ता जब दृढ़ हो गया तो शायद ही इसे टूटते हुए किसी ने देखा हो, इस ईमानी रिश्ते का आधार ईमान है, ईमान के पक्के होने के साथ उसकी दृढ़ता स्थिर हो जाती है ईमान की कमज़ोरी से यह रिश्ता भी कमज़ोर पड़ जाता है।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने से पहले लोग इस ईमानी रिश्ते से परिचित न थे, उनके पारस्पारिक सम्बन्ध गोत्रों के आधार पर होते थे, उनके यह सम्बन्ध आधुनिकी—करण के आधार पर थे।

उस जाहिली काल के लोगों का नारा था "उनसुर अख़ाक जालिमन औ मज़लूमन" अनुवादः अपने भाई को सहयोग दो चाहे वह अत्याचारी हो या उत्पीड़ित जब इस्लाम आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न ईमान लाने वालों का इस्लाम के पवित्र नियमों के सूत्रों में बाँध दिया इस्लामी नैतिकता तथा उसकी शिक्षाएं और सामूहिक जीवन के नियम उनके स्वभाव बन गये, अतः जब एक अवसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा उनसुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमन" तो सहाबा को जाहिलीयत वाला अर्थ "अपने भाई की मदद करो अत्याचारी हो या उत्पीड़ित" लेने में आपत्ति हुई और उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह उत्पीड़ित की मदद तो समझ में आती है अत्याचारी की मदद कैसे की जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने समझाया कि अत्याचारी की मदद यह है कि उसे अत्याचार से रोक दिया जाय।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत तथा शिक्षा का यह प्रभाव था कि जाहिलीयत काल में जो नारा बड़े घमण्ड से लगाया करते थे इस्लाम लाने के बाद जब वही नारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़बान से सुना तो चौंक पड़े और प्रश्न कर बैठे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका रुख़ मोड़ कर वास्तविक इस्लामी अर्थ समझा दिया कि अत्याचारी को आखिरत के कष्ट से बचा लिया जाय और

यह तभी हो सकता है जब उसे अत्याचार से रोक दिया जाय। अतः अत्याचारी की मदद यही होगी कि उसको अत्याचार से रोका जाए।

इसी पवित्र इस्लामी भाई चारे का प्रभाव था कि इस्लाम फैलता और बढ़ता जा रहा था मुसलमानों में रंग तथा वंश का कोई भेद भाव न था, कोई हब्शे का था तो कोई फारिस का, कोई अरबी था तो कोई अ़जमी (गैर अरबी) सब एक ही सोच से लाभान्वित हो रहे हैं और सब अपनी अपनी क्षमतानुसार लाभ उठा रहे हैं। किसी को किसी से न घृणा है न बैर सब एक दूसरे का आदर करते थे और इसी का प्रभाव था कि महा पुरुष फ़ारूक़े आज़म बिलाल हब्शी को सय्यिदुना (हमारे स्वामी) कह कर सम्बोधित करते हैं। हज़रत बिलाल हब्शी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुअज़्ज़िन को यह सम्मान कहाँ से मिला? यह उसी इस्लामी भाई चारे का परिणाम था।

सहाब–ए–किराम का स्वभाव इस प्रकार का हो चुका था कि उनमें से हर एक से इस्लामी भाई चारे का पाठ मिलता था, मदीना हिज़रत के बाद मुहाजरीन (मक्के वाले) और अंसार (मदीने वाले) में जो अल्लाह के नबी ने भाई चारा कराया तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर मुहाजिर का एक अंसारी को उसका भाई बना दिया, अंसार ने भी उसका ह़क़ अदा कर दिया, जिस अंसारी की दो बीवियाँ थीं उसने अपने मुहाजिर भाई से कहा मैं अपनी एक बीबी को तलाक़ दे दूँ और इद्दत के बाद आप उससे निकाह कर लें, अपने माल के दो हिस्से कर के एक हिस्सा मुहाजिर भाई को पेश किया लेकिन मुहाजिर भाई ने शुक्रिया अदा किया और कहा जज़ाकल्लाह यह माल आप को मुबारक हो, मुझे तो आप बाज़ार का पता बता दें और मुहाजिर ने बाज़ार में व्यापार से कमाना आरम्भ कर दिया। इसी इस्लामी भाई चारे का प्रभाव था कि अंसार के दो कबीले औस और ख़ाजरज जो चालीस वर्षों से परस्पर लड़ते चले आ रहे थे इस्लाम ने उन दोनों को ऐसा जोड़ा की दुनिया दोनों क़बीलों के अलग अलग नाम के बजाय उनके एक नाम सिर्फ अंसार से जानती है, कुर्आन मजीद में भी इसका उल्लेख है, अनुवादः और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया सो तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गये (आले इमरानः103)।

सूर–ए–हुजुरात की दस्वीं आयत में इसी बात को दुहराया गया है। फरमया अनुवादः ईमान वाले तो परस्पर भाई भाई हैं। आयत की यह बात ध्यान देने योग्य है इसमें कई बातें सामने आती हैं, भाई का भाई से क्या सम्बन्ध होता है कैसा प्रेम होता है आज के इस भौतिक काल में इसका समझना कठिन होगा, यूरोप के भौतिक तथा मशीनी जीवन व्यवस्था ने समस्त मानवी विशेषताएं मिट्टी में मिला दीं। समाचार

पत्रों में यह सूचनाएं भी आने लगी हैं कि माँ ने बेटे को क़त्ल किया नवजात को उस की माँ कूड़े में डाल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने से पहले जाहिलीयत काल में भी यह हिंसक पशुता थी वह भाई के प्रेम से अवगत न थे आयत में इसी रिश्ते (सम्बन्ध) की ओर संकेत किया जा रहा है कि एक भाई का भाई से जो सम्बन्ध होता है वही सम्बन्ध एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले से होता है। आगे कहा गया है "अपने भाइयों में मेल करा दो"।

यह आयत अपने से पहली आयत की पूरक है जिसमें यह आदेश है कि यदि मुसलमानों के दो गुटों में झगड़ा हो जाए तो तुम्हें मेल करा देना चाहिए, यहां उसको अपनाने का दोबारा आदेश दिया जाता है और उस का कारण भी बताया जा रहा है कि यदि दो भाइयों में झगड़ा हो जाय तो दूसरे भाइयों को भाई चारे और प्रेम की बिना पर इसकी चिन्ता होती है कि दोनों को मिला दिया जाए ताकि सब को झगड़े की मुसीबत से नजात मिले और ज़िन्दगी का मजा आए।

आयत के अखीर में फरमाया "अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए" यह बात सिर्फ सुलह कराने वाले से नहीं कही गई बल्कि दोनों फरीक़ से कही गई है इसमें तमाम मुसलमानों के लिए एक उमूमी हुक्म है, तक़्वा (अल्लाह से डरने) की ज़िन्दगी गुज़ारने से मोमिन एक ख़ास रहमत का हक़दार होता है, आम तौर पर झगड़े दिल के मैल से पैदा होते हैं कीना, कपट, हसद, गीबत, चुग़ली, हक़ तलफियाँ (दूसरे का हक़ मार लेना) झगड़े की बुनियाद बनती है, अगर तक्वा (अल्लाह का डर) स्वभाव में पाया जाएगा तो दिलों का मैल दूर होगा, दिल के रोगों से छुटकारा मिलेगा, दिल आइना की भांति साफ़ हो जाएगा, अपनी बुराइयाँ नज़र आने लगेंगी, अब दूसरों की आँख का तिनका शहतीर न नज़र आएगा, बल्कि अपनी आँख का तिनका नज़र आने लगेगा, और एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। लड़े हुए दो गुटों को मिलाने वाले और झगड़ने वाले सभी में खुदा का ख़ौफ़ (भय) होना आवश्यक है ताकि मेल कराने वाला किसी का बेजा पक्ष न ले। जब तक़्वे (ईश भय) के आधार पर मेल होगा तो यह मिलाप सवयं ही अल्लाह की कृपा का कारण होगा।

विश्व व्यापी भाई चारा इस्लाम का अह्वान ही नहीं अपितु यह ईमान का वास्तविक परिणाम है परन्तु यह परिणाम जब ही प्राप्त होगा जब ईमान की समस्त मांगें पूरी की जाएं। जब मोमिन अपने भाई के लिए वही पसन्द करेगा जो अपने लिए पसन्द करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रक्षा में ढाल बन जाएगा उदाहरण एक सहाबी ने अपनी जान दे दी परन्तु अपने बग़ल पड़े हुए ज़ख्मी प्यासे भाई से पहले पानी पीने को तैयार न हुए। यह घटना एक लड़ाई में घटी थी। ❑❑

दुरूद व सलाम का बयान मआरिफ़ुल क़ुर्आन से

—अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा आलिमा

बेशक अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो ताकि आप का हक़्के अ़ज़मत जो तुम्हारे ज़िम्मे है अदा हो जाए (अहज़ाबः 56)

इससे पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कुछ ख़ुसूसियात व इम्तियाज़ात का ज़िक्र था, जिनके जिम्मे में अज़वाज़े मुतह्हरात के पर्दे का हुक्म आया था, और आगे भी कुछ अहक़ाम पर्दे के आएंगे, दरमियान में इस चीज़ का हुक्म दिया गया कि जिसके लिए यह सब ख़ुसूसियात व इम्तियाज़ात रखे गए हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अज़मत व शान का इज़हार और आप की अज़मत व महब्बत और इताअत की तरग़ीब है।

अस्ल मक़्सूद आयत का मुसलमानों को यह हुक्म देना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलात व सलाम भेजा करें, मगर इसकी ताबीर व बयान में इस तरह फ़रमाया कि पहले हक़ तआला ने ख़ुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए अ़मले सलात का ज़िक्र फ़रमाया, उसके बाद आ़म मोमिनीन को इस का हुक्म दिया, जिसमें आपके शरफ़ और अ़ज़मत को इतना बुलन्द फ़रमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में जिस काम का हुक्म मुसलमानों को दिया जाता है वह काम ऐसा है कि ख़ुद हक़ तआला और उसके फ़रिश्ते भी वह काम करते हैं तो आम मोमिनीन जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एहसानात बे शुमार हैं उनको तो इस अमल का बड़ा एहतिमाम करना चाहिए, और एक फ़ाइदा इस ताबीर में यह भी है कि इससे दुरूद व सलाम भेजने वाले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फ़ज़ीलत यह साबित हुई कि अल्लाह तआ़ला ने उनको उस काम में शरीक़ फ़रमा लिया जो काम हक़ तआला ख़ुद भी करते हैं और उसके फरिश्ते भी।

सलात व सलाम के माने–

लफ़्ज़ सलात के माने रहमत के हैं, आयते मज़कूरा में अल्लाह तआला की तरफ़ जो निस्बत सलात की है उससे मुराद रहमत नाज़िल करना है, और फ़रिश्तों की तरफ़ से सलात उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए दुआ करना है, और आम मोमिनीन की तरफ़ से सलात का मफ़हूम दुआ और मदहो सना का मजमूआ है।

सलात व सलाम का तरीक़ा–

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह सब कुतुबे हदीस में यह हदीस आती है कि हज़रत कअ़ब बिन अज़रा रज़ि0 ने फ़रमाया कि (जब यह आयत नाज़िल हुई तो) एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि (आयत में हमें दो चीज़ों का हुक्म है सलात और सलाम) सलाम का तरीक़ा तो हमें मालूम हो चुका है (कि अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीयु कहते हैं) सलात का तरीक़ा भी बतला दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह अलफ़ाज़ कहा करो "अल्लाहुम्मा सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव्व अ़ला आलि मुहम्मदिंव कमा सल्लैत अ़ला इब्राहीमा व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम्मजीद अल्लाहुम्म बारिक अ़ला मुहम्मदिंव्व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अ़ला इब्राहीम व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम्मजीद, दूसरी रिवायात में कुछ कलिमात और भी मनकूल हैं।

और सहाब–ए–किराम के सवाल करने की वजह ग़ालिबन यह थी कि उनको सलाम करने का तरीक़ा तो तशह्हुद (यानी अत्तहिय्यात) में पहले सिखाया जा चुका था कि अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहा जाए, इसलिए लफ़्ज़ सलात में उन्होंने अपनी तरफ़ से अलफ़ाज़ मुक़र्रर करना पसंद नहीं किया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरयाफ़्त करके अलफ़ाज़ सलात मुतअ़य्यन कराए।

इसीलिए नमाज़ में आ़मतौर पर उन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सलात को इख़्तियार किया गया है, मगर यह कोई ऐसी तअ़यीन नहीं जिसमें तब्दीली ममनूअ़ हो, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सलात यानी दुरूद शरीफ़ के बहुत से मुख़तलिफ़ सीग़े मनकूल व मासूर हैं सलात व सलाम के हुक्म की तअ़मील हर उस सीग़े से हो सकती है जिसमें सलात व सलाम के अलफ़ाज़ हों, और यह भी ज़रूरी नहीं कि वह अलफ़ाज़ आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बिऐ़निही मनकूल भी हों, बल्कि जिस इबारत से भी सलात व सलाम के अलफ़ाज़ अदा किये जाएं इस हुक्म की तअ़मील और दुरूद शरीफ़ का सवाब हासिल हो जाता है, मगर यह ज़ाहिर है कि जो अलफ़ाज़ खुद आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मनकूल हैं वह ज़्यादा बरकत और ज़्यादा सवाब के मोजिब हैं, इसीलिए सहाब–ए–किराम ने अलफ़ाज़ सलात आप से मुतअ़य्यन करने का सवाल फ़रमाया था।

मसअला– क़अ़द–ए–नमाज़ में तो क़ियामत तक अलफ़ाज़ सलात व सलाम उसी तरह कहना मसनून है, जिस तरह ऊपर मनकूल हुए हैं और ख़ारिजे नमाज़ में जब आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद मुख़ातब हों जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अह्दे मुबारक में वहां तो वही अलफ़ाज़ अस्सलातू वस्सलामु अलैक के इख़्तियार किये जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम की वफ़ात के बाद रौज़–ए–अक़दस के सामने जब सलाम अर्ज़ किया जाए तो उसमें भी सीगा अस्सलामु अलैक का इख़्तियार करना मसनून है इसके अलावा जहां ग़ाइबाना सलात व सलाम पढ़ा जाए तो सहाबा व ताबईन और आइम्म–ए–उम्मत से सीग़–ए–ग़ाइब का इस्तेमाल करना मनकूल है, "मसलन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम" जैसा कि आ़म मुहद्दिसीन की किताबें इससे लबरेज़ हैं।

सलात व सलाम के मज़कूरा तरीक़े की हिकमत– जो तरीक़ा सलात व सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बान मुबारक (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमल) से साबित हुआ उस का हासिल यह है कि हम सब मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए *अल्लाह* तआ़ला से रहमत व सलामती की दुआ करें, यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि मक़सद आयत का तो यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तअ़ज़ीम व तकरीम का हक़ खुद अदा करें, मगर तरीक़ा यह बतलाया कि अल्लाह तआला से दुआ करें, इसमें इशारा इस तरफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हक़्क़े तअ़ज़ीम व इताअत पूरा अदा करना हमारे किसी के बस में नहीं, इसलिए हम पर लाज़िम किया गया कि अल्लाह तआला से दुआ करें।

सलात व सलाम के अहक़ाम– नमाज़ के कअ़द–ए–अख़ीरा में सलात (दुरूद शरीफ़) सुन्नते मुअक्किदा तो सब के नज़दीक है, इमाम शाफ़ई रह0 और अहमद बिन हंबल रह0 के नज़दीक वाजिब है, जिसके तर्क से नमाज़ वाजिबे इआ़दा हो जाती है।

मसअला– इस पर जमहूर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है जब कोई आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िक्र करे या सुने तो उस पर दुरूद शरीफ़ वाजिब हो जाता है, क्योंकि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़िक्र मुबारक के वक़्त दुरूद शरीफ़ न पढ़ने पर वईद आई है। जामेअ़ तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "यानी ज़ालिम हो वह आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और वह मुझ पर दुरूद न भेजे"।

मसअला– अगर एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िक्र बार बार आए तो सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद पढ़ने से वाजिब अदा हो जाता है, लेकिन मुस्तहब यह है कि जितनी बार ज़िक्र मुबारक ख़ुद करे या किसी से सुने हर मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़े, हज़राते मुहद्दिसीन से ज़्यादा कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िक्र कर सकता है कि उन का हर वक़्त का मशग़ला ही हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, जिसमें हर वक़्त बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ज़िक्र आता है, तमाम अइम्म–ए–हदीस का दस्तूर यही रहा है कि हर मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ते और लिखते हैं। तमाम कुतूबे हदीस इस पर शाहिद हैं, उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि इस

तकरारे सलात व सलाम से किताब की ज़ख़ामत काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि अकसर छोटी–छोटी हदीसें आती हैं जिनमें ज़्यादा मरतबा नामे मुबारक मज़कूर होता है, हज़राते मुहद्दिसीन कभी सलात व सलाम तर्क नहीं करते।

मसअला– जिस तरह ज़बान से ज़िक्र मुबारक के वक़्त ज़बानी सलात व सलाम वाजिब है इसी तरह क़लम से लिखने के वक़्त सलात व सलाम का क़लम से लिखना भी वाजिब है, और इसमें जो लोग हुरूफ का इख़्तियार करके "सलअ़म" लिख देते हैं यह काफ़ी नहीं, पूरा सलात व सलाम लिखना चाहिए।

मसअला– ज़िक्र मुबारक के वक़्त अफ़ज़ल व आ़ला और मुस्तहब तो यही है कि सलात और सलाम दोनों पढ़े और लिखे जाएं, लेकिन अगर कोई शख़्स उनमें से एक यानी सिर्फ़ सलात या सिर्फ़ सलाम पर इक्तिफ़ा करे तो जमहूर फ़ुकहा के नज़दीक कोई गुनाह नहीं, शैख़ुल इस्लाम नववी रह0 वग़ैरह ने दोनों में से सिर्फ़ एक पर इक्तिफ़ा करना मकरूह फ़रमाया है, इब्ने हजर हैसमी रह0 ने फ़रमाया कि उनकी मुराद कराहत से ख़िलाफ़े औला होना है, जिसको इस्तिलाह में मकरूहे तनज़ीही कहा जाता है, और उलम–ए–उम्मत का मुसलसल अमल इस पर शाहिद है कि वह दोनों ही को जमअ़ करते हैं और बाज़ औक़ात एक पर भी इक्तिफ़ा कर लेते हैं।

मसअला–लफ़्ज़ सलात अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल करना जमहूर के नज़दीक जाइज़ नहीं, इमाम बैहक़ी ने अपने सुनन में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 का यह फ़तवा नक़्ल किया है "किसी पर दुरूद नहीं पढ़ा जाएगा सिवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लेकिन दुआ की जाएगी इस्तिग़फ़ार की मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए" इमाम शाफ़ई रह0 के नज़दीक ग़ैरे नबीके लिए लफ़्ज़ सलात का इस्तेमाल मुस्तकिलन मकरूह है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह0 और उनके असहाब का भी यही मज़हब है, अलबत्ता तबअ़न जाइज़ है यानी आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलात व सलाम के साथ आल व असहाब या तमाम मोमिनीन को शरीक करले, इसमें मुज़ाइक़ा नहीं। और इमाम जुवैनी रह0 ने फ़रमाया कि जो हुक्म लफ़्ज़ सलात का है वही हुक्म लफ़्ज़ सलाम का भी है कि ग़ैरे नबी के लिए इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, जैसे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम लिखना ठीक नहीं अलबत्ता चारों मुकर्रब फरिश्तों के साथ लगाना जाएज़ है जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम। बतौर तहिय्या के अस्सलामु अ़लैकुम कहे, यह जाइज़ व मसनून है, मगर किसी ग़ाइब के नाम के साथ "अलैहिस्सलम" कहना और लिखना ग़ैर नबी के लिए दुरुस्त नहीं।

अल्लामा लक़ाई ने फरमाया कि क़ाज़ी अयाज़ ने फरमाया है कि मुहक़्क़िक़ीने उलम–ए–उम्मत इस तरफ़ गए हैं और मेरे नज़दीक भी यही सही है, और इसी को

शेष पृष्ठ.....36 पर

"आज के युग में नारी, आज़ादी से मर्यादा तक"

—तहरीम मुशीर माही

समाज का रूप वैसे तो कई वर्गों में बंटा हुआ है परन्तु मूल रूप से यह दो वर्गों में बंटा है। एक पुरुष दूसरा स्त्री अन्तर केवल यह है कि वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार एक दूसरे से भिन्न हैं। मनुष्य ईश्वर की उत्पत्ति है। हमारा जीवन ईश्वर का ऋण है शरीर व आत्मा दोनों अल्लाह द्वारा प्रदान की गई है। जिस तरह अल्लाह पुरुषों का रक्षक है उसी तरह वह स्त्री का भी रक्षक है। पुरुष हो या स्त्री अल्लाह ने दोनों को समान अधिकार दिये है अन्तर केवल इतना है कि वह अधिकार मनुष्य की बुद्धि के विपरीत हो जाते हैं और मानव जाति वही करती है जो उसे सही प्रतीत होता है। इसी फलस्वरूप सामाजिक स्थिति बड़ी दयनीय और शोचनीय हो जाती है।

प्राचीन काल में घटित होने वाली घटनाऐं इस बात की साक्षी हैं कि स्त्री के अधिकारों का हनन किया गया उसे शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी प्रताणित किया गया और संसार के विभिन्न धार्मिक मतों ने स्त्री को पाप का भागीदार समझा और पुरुषों ने उसे अपने लिए दुख का कारण जाना। इस तरह स्त्री की दशा अत्यन्त शोचनीय थी उसका जीवन पुरुषों के अधीन था केवल मात्र वह भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। यही दृष्टिकोण पूरे संसार का रहा। इससे भारत देश भी स्वतन्त्र नहीं रहा सिन्धु सभ्यता चूंकि मातृत्व सत्तात्मक थी परन्तु इसका पतन होने के उपरान्त भारत देश पुरुष प्रधान देश बना और धीरे धीरे स्त्री की दशा धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोंण से दयनीय होती चली गयी इसका विवरण "नारी की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की बहाली" लेखक मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी ने अपनी पुस्तक "सभ्यता और संस्कृति पर इस्लाम की छाप और उसकी देन" में प्रस्तुत किया है—

"हिन्दुस्तान में मनु की शरीअत (धर्मशास्त्र) पिता, पति या दोनों के निधन हो जाने की दशा में बेटे से अलग औरत का कोई मुस्तक़िल हक़ नही मानती थी और इन सबके निधन के बाद उसका पति के किसी निकट सम्बन्धी से सम्बन्धक हो जाना आवश्यक था। वह किसी दशा में अपने मामले में खुद मुख़्तार नहीं हो सकती थी। आर्थिक मामलों में उसकी हक़तल्फी (अधिकारों का हनन) से ज़्यादा सख़्ती उसके पति से अलग ज़िन्दगी के इन्कार की सूरत में थी, जिसके अनुसार पत्नी को पति के मरने के दिन मर जाना और उसकी चिता पर सती हो जाना ज़रूरी था।"

भारत में स्त्री का पति की चिता के साथ सती होना एक कुप्रथा थी जो भारत में सत्रहवीं शताब्दी तक बनी रही जिसका अन्त राजा राम मोहन

राय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयास और लार्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में बनाये गये नियम द्वारा हुआ इसी तरह विधवा पुनर्विवाह के लिए आन्दोलन चलाया गया जिसमें ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का कार्य एवं योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। भारतीय समाज में इसी तरह के बुद्धिजीवी और नव चेतना के अग्रदूतों ने बहुत सारी कुप्रथाओं का अन्त किया। स्त्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कानून बनाये गये क्योंकि इससे नारी के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।

नारी की यह दुर्दशा केवल भारतीय समाज में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर थी और यह अरब समाज में भी प्रचलित रही। अरब समाज में एक प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित थी कि अरब के कुछ ऊँचे परिवारों में लड़की पैदा होती तो वह उसे ज़िन्दा गाड़ देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लड़की दुख का कारण है इसलिए अब इनका सर लोगों के सामने सदैव झुका रहेगा यदि यह लड़की जीवित रही तो इनकी गरिमा धूमिल होती रहेगी। उनके इस कुकृतियों का वर्णन स्वयं कुर्आन ने भी किया है–

"जब उनमें से किसी को लड़की पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वह ग़म से घुटने लगता है, इस खबर को वह इस हद तक बुरा समझता है कि अपने आपको अपनी क़ौम से छुपाये फिरता है कि आया जिल्लत बर्दाश्त करते हुए इसको बाकी रखे या ज़मीन में दफ़न कर दे। (सूरः अल नहलः 58–59)

इस्लाम आया और उसने सही मानों में औरत को उसका अधिकार दिया उसे जीवन संग आत्मा भी प्रदान की सही और ग़लत कि शिक्षाओं का वर्णन स्वयं कुरआन करता है और दिन प्रतिदिन दृष्टिकोंण से औरत को पुरुष समाज वह सभी अधिकार देते हैं जिसकी शिक्षा इस्लाम ने दी।

इस्लाम की शिक्षाऐं जैसे जैसे फैलती चली गईं दूसरे धर्मों में भी स्त्री जाति को उसके अधिकार मिलने शुरु हो गये। हिन्दू, बौद्ध, जैन यहूदी, ईसाई विभिन्न धर्मों में स्त्री की शिक्षा उसकी आज़ादी के लिए लोग तत्पर हुए फिर पूरे संसार में एक आन्दोलन उत्पन्न हुआ जिसमें औरत की आज़ादी को अर्न्तराष्ट्रीय पटल पर रखा गया और खूब चर्चायें भी हुई और औरत आज़ाद भी हुई क्योंकि बड़ी–बड़ी संस्थाओं ने इसे आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या आज औरत पूरी तरह आज़ाद है? हाँ वास्तविक रूप से औरत आज आजाद है जिस आज़ादी की बात ये संस्थायें करती हैं उनके अनुसार यदि हम समाज में घटित होने वाली घटनाओं का अनुसरण करें तो यह देखते हैं कि नारी जाति कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से अधीन है यह अधीनता उसकी स्वयं की है या किसी और की परन्तु वह अधीन है। यदि उसे इस अधीनता को दूर करना है तो उसे बुद्धि से

काम लेना होगा उसे यह सोचना होगा कि जिन जंज़रीरों को काट कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसे फिर से ना पहन्ना पड़े क्योंकि उसमें जकड़ कर हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देगें। हम नारी हो कर ही नारी जाति का उत्थान करें।

औरत के लिए घर से बाहर निकल आना ही आज़ादी नहीं है, अंगों को दिखाने के लिए वस्त्र धारण करना ही आज़ादी नहीं है, पुरुषों के साथ कन्धों से कन्धा मिला कर या उनके जैसा वस्त्र धारण करना ही आज़ादी नहीं होती, पुरुष की तरह महिला का देर रात घर आना यह भी आज़ादी नहीं होती, किसी दूसरे पुरुष पर अपनी सुन्दरता को प्रकट करना ही आज़ादी नहीं है। समाज को महिला के लिए जो आज़ादी चाहिए उसका स्वरूप यह होना चाहिए औरत घर से बाहर तो निकले परन्तु किसी कार्य से मात्र घूमने के लिए नही, वस्त्र धारण तो करे परन्तु अंगों को ढकने के लिए, पुरुष संग चले तो पर किसी प्रतियोगिता के कारण नहीं बल्कि अपनी शैक्षिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्योंकि समय की मांग भी यही है पर यह कार्य स्त्री वस्त्रों को धारण करने के साथ भी हो सकता है और देर रात महिला का बाहर रहना इस कारण अनुचित है कि अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार पुरुष की तुलना में वह कम बलवान है। वह किसी भी घटना से बहुत जल्दी प्रेरित होती है। स्त्री सुन्दरता और पवित्रता का दर्पण है जिस तरह दर्पण बहुत स्वच्छ और कोमल होता है कि जरा सी भी ठेस लगने मात्र से उसका अस्तित्व चकनाचूर हो जाता है इसी तरह स्त्री की सुन्दरता और उसकी पवित्रता है यदि वह उसे अपनी मर्यादा से अधिक प्रकट करे तो फिर समाज के मानसिक विक्षिप्त लोग उसके अस्तित्व को चकनाचूर करने में बड़ी आसानी से सफल रहेंगे।

आज समाज में जिस तरह की घटनाऐं घटित हो रही हैं शायद ही अख़बार का कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर महिला से सम्बन्धित मामले ना हों। किसी महिला के साथ छेड़खानी की गई, किसी पर रास्ता चलते तेजाब फेंक दिया किसी के साथ यौन उत्पीड़न इत्यादि पहले ऐसी खबरें अख़बारों की कभी कभी शोभा बनती थीं परन्तु आज यह आम बात हो गई है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सरकार महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कड़े से कड़ा क़ानून बना रही है परन्तु और अधिक घटनायें घट रहीं हैं। मुझे स्त्री की दशा आज प्राचीन काल के समतुल्य नज़र आती है बस केवल उसके रूप बदल गये हैं समय की आपाधापी में अधिकतर स्त्री का चरित्र ही समाप्त होते दिख रहा है। महिलाऐं पुरुषों से अपने अधिकारों की तुलना में इस तरह अन्धी हो रही हैं कि वह महिला होने का गर्व व सम्मान ही खोती जा रही हैं और सामाजिक स्तर पर पुरुष महिलाओं के इसी अन्धेपन

का फायदा उठा रहे हैं।

आदर्श समाज की जननी अपनी आज़ादी के लिए इतना आतुर है तो वह स्वयं कष्ट की भागीदार बन रही है। दिल्ली का निर्भया काण्ड क्या इसका उदाहरण नहीं रहा अभी साल भी पूरा नहीं हुआ कि तहलका पत्रिका के सम्पादक तरुन तेजपाल का मामला सामने आया। जिस व्यक्ति ने स्वयं ना जाने ऐसे कितने ही सामाजिक मुद्दे लोगों के सामने लाने की कोशिश की और इस व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी कि वह इस तरह की घटना को अन्जाम दे सकता है। समाज में घटित होने वाले इस तरह के मामले प्रकाश में आना कुछ स्वयं सेवी एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए शुभ संकेत हैं। राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे महिला सशक्तिकरण का नाम दिया है उनका कहना है कि महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न अब पंजीकृत हो रहा है और दोषी को सजा भी मिल रही है और पीड़िता को न्याय भी। लेकिन यह न्याय मेरे हिसाब से महिला के लिए क्षणभंगुर है वह इसलिए कि एक महिला को सम्मान और उसकी अस्मिता ही उसका जीवन है यदि किसी ने उसे कुचल दिया तो मानो उसकी आत्मा को ही समाप्त कर दिया। तहलका काण्ड में न्याय की मांग करते हुए पीड़िता ने कहा कि "यह मेरी अस्मिता और अधिकार की रक्षा की लड़ाई है कि मेरा शरीर सिर्फ मेरा है न कि नौकरी देने वाले का खिलौना"।

दैनिक जागरण, पृष्ठ 19,
30 नवम्बर 2013

पीड़िता का बयान सही है परन्तु समय रहते वह दूरअन्देशी से काम लेती तो उसे अपने अस्तित्व को बचा पाने में कामयाबी मिल जाती। परन्तु हमारे इस सभ्य समाज में नारी यदि जागरूक और शिक्षित ना हो, स्वयं के मामले में तो समाज भी उसकी समस्या का कुछ निदान नही कर सकता है। एक पीड़िता को न्याय मिलेगा दूसरी उसके पीछे खड़ी मिलेगी और निरन्तर ही यह सिलसिला चलता रहेगा। यदि महिलाओं को सही और गलत का ज्ञान नहीं दिया गया जब तक उसे यह नहीं बताया गया कि किस मार्ग पर जा कर उसे अधिकार मिल सकता है। और किस पर प्रकाश मिल सकता है। उसे यह बताना होगा कि यह जो लक्ष्मण रेखा है (अर्थात नैतिक नियम हैं) यदि उसने इसे पार किया तो उसने आजादी के नाम पर अपनी हर मार्यादा को पार किया।

रावण तो सीता हरण में ताक और जाल बिछाये ही था लक्ष्मण ने रेखा खीचीं और सीता से यह कहा कि इसके बाहर ना जाना, सीता ने रेखा से जैसे ही बाहर पांव रखा रावण ने हरण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की सीता को अपनी मर्यादा की रेखाऐं स्वयं खींच कर चलना चाहिए उन्हें सदैव यह ज्ञान होना चाहिए कि रावण उनके पीछे चल रहा है। जहाँ नारी मर्यादा को लाँघ कर पार हुई वहीं पर रावण की प्रतीक्षा समाप्त हुई और सीता की अग्नि परीक्षा शुरु हुई। सामाजिक

स्तर पर न्याय के लिए लड़ना पुलिस, कोर्ट और वकीलों के चक्कर काटना ऐसे में जब महिला को न्याय मिल भी गया तो ऐसे में उसके जीवन का कुछ अमूल्य वर्ष बीत जाने के बाद उसे सन्तोष तो मिला वह भी पूर्ण रूप से नहीं पर सामाजिक दृष्टिकोण से एक रावण तो कैद हुआ परन्तु दूसरी ओर कहीं एक आजाद भी हुआ। इसलिए महिलाएं स्वयं मानसिक और बौद्धिक स्तर पर इतनी शक्ति –शाली बनें कि समाज में निर्भया के साथ जो घटित हुआ वह भविष्य में फिर किसी महिला के साथ घटित ना हो।

बड़ा और अहम सवाल यह है कि समाज में इस तरह की घटनायें क्यों घटित हो रही हैं यह घटनायें उनके साथ ना घटित हों इसलिए महिलाओं को कुछ न कुछ उपाय करने ही होंगे उन्हें जागृत और शिक्षित होना ही पड़ेगा और अपने समाज और परिवार की सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। महिला को महिला ही बनकर अपना अधिकार पाना होगा कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे महिला देश मे पूरी तरह से सुरक्षित रह सके जो मेरे अनुसार निम्न है–

1. महिलाऐं भड़काऊ वस्त्र ना धारण करें और ना ही पुरुष वस्त्र धारण करके खुद की अस्मिता को चोट पहुंचाये, मैं उन महिलाओं से प्रश्न करती हूँ, क्या किसी पुरुष को महिला वस्त्र धारण करते देखा गया है? नही यदि कभी देखा भी गया होगा तो वह हज़ारों में से एक होते हैं वरन् वह भी नही यह उदाहरण समाज में इस कारण मिल जाता है क्योंकि कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग भी होते हैं। ऐसे में हम क्यों पुरुष वस्त्र धारण करें जो हमारी शालीनता को भंग करता है।

2. यदि हम महिलाऐं किसी कालेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती हैं तो वह स्वयं अपनी सीमा का निर्धारण करें और बातचीत केवल कार्य से कार्य तक होनी चाहिए जिससे दोनों की मर्यादा बनी रहेगी।

3. देर रात घर पर किसी महिला का भी लौटना सही नहीं है इसका बड़ा कारण यह है कि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है ऐसे में यदि कोई घटना उनके साथ घटित होती है तो वही दोषी ठहरायी जाती हैं यदि वह सही भी होती है तब पर भी क्योंकि हमारी सामाजिक मानसिकताऐं बहुत तुच्छ है। इसलिए स्वयं ही आप बचने के उपाय करें। क्योंकि जिस तरह आपको हमको यह पता होता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह उचित है हमें यह पता है कि एक ओर दलदल और दूसरी ओर सड़क है इसलिए हमने सड़क का मार्ग चुना है।

4. माता–पिता को बताये बिना कहीं किसी भी महिला का जाना किसी बड़ी घटना को बुलावा देना है। यदि हमारे माता–पिता को यह पता नहीं होगा कि हम कहाँ गये हैं और किस कार्य से गये हैं यदि यह बात कोई जानता होगा तो इसका गलत फायदा उठा कर आपके साथ कुछ भी कर सकता है।

5. माताओं से अपील है कि अपनी छोटी बच्चियों को कभी किसी पड़ोसी या किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ ना भेजें जिसे आप सही तरीक़े से जानती भी नहीं हों क्योंकि समय की बहती धारा और दिशाऐं इसी ओर इशारा करती हैं कि हर किसी पर विश्वास करना किसी बड़ी घटना के संकेत हैं।

6. यदि आप छात्रायें हैं या छात्रायें नहीं भी हैं और इंटरनेट का उपयोग करती हैं और फेसबुक, ट्विटर या और भी कोई साइट चलाती हैं तो ऐसा कोई भी मित्र ना बनायें जो आपको हानि पहुँचा सके और न ही कभी भी इन साइटों पर अपनी तस्वीर अपलोड करें क्योंकि तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह आपकी अच्छी तस्वीरों से अश्लीलता परोस सकते हैं और जिसके फलस्वरूप वह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं आज यह समस्या सामाजिक स्तर पर भीषण रूप धारण कर चुकी है।

7. यदि आप किसी बस टैक्सी या किसी साधन का प्रयोग करती हैं तो हमेशा देखभाल कर यात्रा करें। कभी किसी के भी कहने पर अकेले उस व्यक्ति के साधन का प्रयोग न करें। भले ही आपको कितनी देर क्यों ना हो रही हो इसलिए हर कार्य समयानुसार करें और सुखी रहें।

8. अपरिचित व्यक्ति या परिचित सगे सम्बन्धी पुरुष के साथ एकान्त में कभी भी ना मिलें और यदि मिलें तो इसकी सूचना अपने परिवार जन को अवश्य दें और फिर अपनी मर्यादित सीमानुसार अपना कार्य करें।

9. यदि आप स्कूल, कालेज विश्वविद्यालय में किसी एकान्त स्थान पर है और किसी पुरुष मित्र या अपरिचित को अपने पास आते देख सावधान रहें कुछ खाने पीने की वस्तु ना लें और न दें इसका प्रयोग वर्जित करें।

10. स्कूल या कालेज जाते समय कोई भी छोटी से छोटी घटना आपके साथ घटती है तो इसकी सूचना अपने माता पिता को ज़रूर देनी चाहिए किसी छोटी बात को छुपाने से वह आगे चलकर विकराल रूप ले सकती है। समय रहते ही कुछ बातें संज्ञान में आ जायें तो उनका निदान भी हो सकता है।

11. नारी अपनी आँखों में वह तेन और क्रोध उत्पन्न करे कि सामने वाला यदि उससे गलत इरादे से नज़र मिलाना चाहे भी तो नारी के इस तेन से पुरुष की निगाहों में छाले उबल पड़े और वह अपना गलत इरादा बदलने पर मजबूर हो जाये।

यह कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अपना कर नारी अपने आपको सुरक्षित रख सकती है। नारी पुरुष की जननी तो स्वयं पुरुष को सोचना चाहिए इस जननी को क्यों ना मान और सम्मान दिया वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी सभी के रूप में तो आपके साथ चलती है आपका सहारा है बिना किसी लालच आपकी सेवा में अपना जीवन त्याग करती हैं फिर वह आज दुख की भागीदार क्यों बनी है कहीं न कहीं आप भी इसके दोषी हैं सोचें और विचारें कि आपका दोष क्या है और कहाँ पर है? ईश्वर की इन अनमोल

रचनाओं को नष्ट करने की कोशिश न कीजिए जो वरदान हैं उसे अभिशाप क्यों बनाया जाये।

नारी पुरुष ही की तरह ईश्वर की रचना है। नारी को स्वयं सोचना चाहिए कि यदि वह नारी ही रहकर नारी का अधिकार हासिल करे तो ज़्यादा अच्छा है यह हमारा सौभाग्य है कि हम नारी हैं हम नारी ही बन कर शिक्षा ग्रहण करें नारी ही रहकर माँ, बहन, बेटी, पत्नी का चरित्र निभाने की कोशिश करें। हम अच्छी शिक्षिका बनें, डॉक्टर बनें, वैज्ञानिक बने, सुधारक बने क्योंकि आज के समाज में इसकी भी ज़रूरत है परन्तु आज़ादी के नाम पर पुरुषों से समानता की प्रतिस्पर्धा न करें और ना ही वस्त्र धारण करके अंगों का प्रदर्शन करें जो आपको प्रदर्शनकारी की संज्ञा दे। हमारे अनुसार वस्त्र तो हम ध ारण करते हैं पुरुषों को इससे क्या समस्या हम चाहे जो पहनें यह हमारी आज़ादी है उन्हें क्यों फर्क़ पड़ता है? फर्क़ पड़ता है अब स्वयं ही विचार करें सड़क पर चलने वाली वह महिलाऐं जो वस्त्र कम और अंग प्रदर्शन ज़्यादा करती नज़र आती हैं जब वह हमारी आँखों को नहीं भाता तो पुरुष को (महिला की) किस तरह से अच्छा लग सकता है। अब सड़क पर चलने वाला हर पुरुष महात्मा या सन्त नहीं होता जो अपनी आँखें फेर ले या दूसरी ओर कर ले। इनमें शैतान और रावण भी छुपे होते हैं। महात्मा और सन्त आँखें बन्द कर सकते हैं पर शैतान और रावण नहीं। वह तो इसे और बढ़ावा दिलाने की तत्परता दिखाते हैं। अब सोचना स्वयं महिला का काम है वह क्या करें आज़ादी के नाम पर मर्यादा ना तोड़ें। जिस तरह जीवन की सभी शिक्षायें मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं ठीक उसी तरह आधुनिक आज़ादी पर स्त्री की मर्यादा समाप्त हो जाती है। स्त्री आज़ादी के लिए कभी भी मर्यादा को बाधक न समझें बल्कि मर्यादा के दायरे में रह कर नारी की आज़ादी मर्यादा से मर्यादा तक हो। ❑❑

क़ुर्आन की शिक्षा.....

3. यानी अगर बाप इन्तिक़ाल कर जाये तो बच्चे के वारिसों पर भी यही लाजिम है कि दूध पिलाने की मुद्दत में उसकी माँ के खाने कपड़े का खर्च उठायें और तकलीफ न पहुंचायें और वारिस से मुराद वह वारिस है जो मह्रम भी है।

4. यानी अगर माँ–बाप किसी मस्लहत की वजह से दो साल के अन्दर ही बच्चे की मस्लहत का लिहाज़ करके बाहमी मश्विरे और रज़ामंदी से दूध छुड़ाना चाहें तो उसमें गुनाह नहीं, मसलन माँ का दूध अच्छा न हो।

5. यानी ऐ मर्दो, अगर तुम किसी ज़रूरत व मस्लहत से माँ के अलावा किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाना चाहो तो उसमें भी गुनाह नहीं मगर उसकी वहज से माँ का कुछ हक़ न काट रखे बल्कि दस्तूर के मुवाफिक जो माँ को देना ठहराया था वह दे दे और ये मतलब भी हो सकता है कि दूध पिलाने वाली का हक़ न काटे। ❑❑

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीरों के दो इक़्तिबासात

(1)

15 दिसम्बर 1923 को देहली में आलइण्डिया नेशनल काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रेसीडेन्ट ऐड्रेस–

हमारी जिद्दोजुहद (प्रयास, परिश्रम) की बुन्याद हिन्दु मुस्लिम इत्तिहाद (एकता) है, यह हमारी तअ़मीरात (रचनात्मक कार्य) की वह पहली बुन्याद है जिसके बग़ैर न सिर्फ़ हिन्दुस्तान की आज़ादी की वह तमाम बातें जो किसी मुल्क़ के ज़िन्दा रहने और तरक़्क़ी करने की हो सकती है, महज़ (केवल) ख़ुवाबो ख़्याल है, सिर्फ़ यही नहीं है कि इसके बग़ैर हमें क़ौमी आज़ादी नहीं मिल सकती है बल्कि इसके बग़ैर हम इन्सानियत के इब्तिदाई उसूल (प्रारम्भिक सिद्धान्त) भी अपने अन्दर पैदा नहीं कर सकते हैं। आज अगर एक फ़रिश्ता आसमान की बुलन्दियों से उतर कर देहली के कुतुबमीनार पर खड़े हो कर यह एलान करदे कि स्वराज चौबीस घण्टे में मिल सकता है बशर्ते कि हिन्दुस्तान हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद (एकता) से दस्त बरदार हो जाय तो मैं स्वराज से दस्तबरदार हो जाऊँगा, क्योंकि अगर स्वराज मिलने में ताख़ीर (देरी) हुई तो यह हिन्दुस्तान का नुक़सान होगा लेकिन अगर हमारा इत्तिहाद जाता रहा तो यह आलमे इन्सानियत (मानव संसार) का नुक़सान है।

(2)

मार्च सन् 1940 ई0 आल इण्डिया काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, रामगढ़ के प्रेसीडेन्ट ऐड्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फ़रमाया–

मैं मुसलमान हूँ और गर्व के साथ महसूस करता हूँ कि मुसलमान हूँ, इस्लाम की तेरा सौ बरस की शानदार रवायतें मेरे वरसे में आई हैं, मैं तैयार नहीं कि इसका छोटे से छोटा हिस्सा जाये होने दूँ इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तारीख़ इस्लाम के उलूम व फ़ुनून, इस्लाम की तहज़ीब मेरी दौलत का सरमाया है, और मेरा फ़र्ज़ है कि इसकी हिफ़ाज़त करूँ, बहैसियत मुसलमान होने के मज़हबी और कलचरल दाएरे में अपनी एक ख़ास हसती रखता हूँ और मैं बरदाश्त नहीं कर सकता कि इसमें कोई मुदाख़लत (हस्तक्षेप) करे, लेकिन इन तमाम एहसासात के साथ मैं एक और एहसास भी रखता हूँ जिसे मेरी ज़िन्दगी की हक़ीक़तों (वास्तविकताओं) ने पैदा किया है, इस्लाम की रूह मुझे इससे नहीं रोकती, वह इस राह में मेरी रहनुमाई करती है। मैं फ़ख़्र (गर्व) के साथ महसूस करता हूँ कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ, मैं हिन्दुस्तान की एक और नाक़ाबिले तक़सीम मुत्तहिदा क़ौमियत का एक उन्सुर हूँ (संयुक्त राष्ट्रीयता का अटूट अंग हूँ) मैं इस मुत्तहिदा क़ौमियत का एक अहम उन्सुर हूँ जिसके बग़ैर उसकी अज़मत का हैकल (विशालता का रूप) अधूरा रह जाता है मैं उसकी तकवीन (बनावट) का एक नागुज़ीर आमिल (Compulsory Factor) हूँ। मैं अपने इस दअ़वे से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। ❑❑

इस्लाम और महिला

—सैय्यद मुहम्मद नोमान जौरासी

अब से चौदह सौ साल पहले जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा दुनिया के क्षितिज पर इस्लाम की किरनें रौशन हुईं, दुनिया जिहालत के घटा टोप अंधेरे में डूबी हूई थी, प्रत्येक इन्सानी वर्ग अपने अधिकारों से वंचित था, विशेष तौर पर महिला वर्ग पर बड़े अत्याचार थे एक ओर लड़कियाँ ज़िन्दा दरगोर होती थीं, शौहरों के मरने के बाद सौतेली माएं अपने बेटों की मिलकियत करार पाती थीं, जुवे में हारने के बाद रहन और (विक्रय) हो जाती थीं, बेवह हो जाने के बाद अक़्द सानी (दूसरा निक़ाह) न होने की वजह से बहुत अपमान जनक जीवन व्यतीत करना पड़ता था, ऐसी फ़ज़ा और माहौल में इस्लाम अब्रेकरम बन कर बरसा और महिला वर्ग को एक सम्माननीय स्थान प्रदान किया मुहसिने इन्सानियत (मानव उपकारी) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया जिसने अपनी बेटियों को अच्छी तअ़लीम व तरबियत (शिक्षा और दीक्षा) से आरास्ता किया और बड़े होने पर उनका अच्छी जगह रिश्ता किया तो वह शख़्स जन्नत में मुझ से क़रीब होगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया "उनके साथ अच्छे बरताव और अच्छे अख़लाक़ के साथ पेश आओ।

इस्लाम से पहले औरतों की मिलकियत (स्वामित्व) में कोई ज़मीन व जायदाद नहीं थी, इस्लाम ने औरत को माँ—बाप और शौहर के तरके में असको वारिस बनाया।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— "तुम्हारी जन्नत माँ के पैरों के तले है" यानी उनकी ख़िदमत करके और उनका आज्ञा पालन करके जन्नत हासिल करो।

बीवियों के हुकूक़ (अधिकारों) याद दिलाते हुए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "तुममें बेहतरीन वह लोग हैं जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतर हों, मैं तुममे से अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ"।

चौदह सौ साल पहले दुनिया पर नज़र डालिए और देखिए कि औरत किस कसमपुर्सी की हालत में थी, कोई उसका पुरसाने हाल न था, शाएरे इस्लाम मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह0 ने इसकी बहुत प्रभावकारी मन्ज़रकशी की है।

जाहिलीयत में औरत थी इक जानवर
ठोकरें खाती फिरती थी वह दरबदर
राह व मंज़िल से अपनी वह थी बेख़बर
कोई उसका न था, शाम थी बेसहर
औरतों को दिया हुर्रियत का मक़ाम
उसपे लाखों दूरूद उसपे लाखों सलाम

ख़ालिक़े काइनात ने अपने आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिए दुनिया वालों को "सूरतुन्निसा" औरतों की सूरत अता फ़रमाई औरत के मक़ाम व मरतबे में चार चाँद लगा दिया।

शेष पृष्ठ..... 36 पर

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः कुछ मस्जिदों में ऐसे टाइल्स लगे होते हैं जिनमें देखने से नमाज़ियों की सूरतें नज़र आती हैं और उनकी हरकात भी दिखाई पड़ती हैं, सवाल यह है कि मस्जिदों में इस तरह के टाइल्स लगाना दुरुस्त है? और क्या तस्वीरों और हरकात व सकनात नज़र आने की वजह से नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी?

उत्तरः मस्जिद की रक़म से मस्जिद की सजावट और उसमें फूल पत्ती बनाना दुरुस्त नही, अलबत्ता जाती रक़म से अगर कोई सजावट करे तो सिर्फ इस हद तक इजाज़त है कि बेजा खर्च न हो और अगर टाइल्स इस तरह हों कि उसमें सूरतें नज़र आती हों तो यह अच्छी बात नहीं है मगर नमाज़ अदा हो जाएगी। (रद्दुल मुख़्तारः 2पेज 430—431)

प्रश्नः मस्जिद की मेहराब और उसके इर्द गिर्द शीशा या ऐसे टाइल्स और मारबल लगाना जो बेहद चमकदार हों और उन में नमाज़ी की सूरतों के अलावा हरकात व सकनात भी नज़र आती हों क्या दुरुस्त है? और तस्वीरों के सामने नज़र आने की वजह से नमाज़ पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा?

उत्तरः मसाजिद की दीवार और मेहराब में इस किस्म के नक़्श व निगार जिससे नमाज़ी की यकसूई मुतअस्सिर होती हो मसाजिद की रक़म से बनाना जाइज़ नहीं, और जाती रक़म से करना भी मकरूह है अलबत्ता नमाज़ हो जाएगी। (दुर्रुल मुख़्तार 688/1)

प्रश्नः इमाम के सामने या मस्जिद की मेहराब में किसी किस्म का तुग़रा (लिखित वस्तु) लटकाना या किसी तरह की तहरीर लिखना कैसा है?

उत्तरः इस तरह की कोई चीज़ लटकाना या लिखना जिससे नमाज़ियों का ध्यान बँटे मकरूह है। (रद्दुल मुख़्तार 658/1)

प्रश्नः मस्जिद में काबा और मस्जिदे नबवी का फोटू लटकाना कैसा है?

उत्तरः अगर इन तस्वीरों से नमाजियों का ध्यान बँटता है तो इनका लटकाना मकरूह है।

प्रश्नः तख़्ता स्याह पर हदीसें या नसीहत की बातें लिख कर मुसलमानों की इस्लाह की ग़रज़ से मसाजिद के दाखिले दरवाज़े पर लटकाना कैसा है?

उत्तरः मुसलमानों की इस्लाह की ग़रज से मस्जिद के दाखिली दरवाज़े पर तख़्ता स्याह पर हदीसें और दूसरी छोटी बातें लिख कर लटकाना जाइज़ और दुरुस्त है। (फत्हुल बारी 117/2)

प्रश्नः मस्जिद के अन्दर बने कमरे में मस्जिद ही के कामों के लिए दफ़्तर बनाना कैसा है?

उत्तरः अगर उस कमरे में बनाने के वक़्त से नमाज़ पढ़ी जाती रही है और वह मस्जिदमें दाखिल है तो उसको दफ़्तर बनाना या किसी और मसरफ में लाना दुरुस्त नहीं है।

(रद्दुल मुख़्तार 358/4)

प्रश्नः पुरानी मस्जिद का सामान अपने मकान या मदरसे की इमारत में लगाना कैसा है?

उत्तरः मस्जिद के ज़िम्मेदारों से उस सामान को खरीद कर अपने मकान या मदरसे वगैरह की इमारत में लगाने में कोई हरज नहीं, बल्कि जाइज़ है। (फतावा हिन्दीया 459/2)

प्रश्नः अगर जाय नमाज़ पर मुख़्तलिफ़ किस्म की नक़्क़ाशी हो तो उस पर नमाज़ पढ़ना कैसा है?

उत्तरः अगर जाय नमाज़ पर किसी जानदार की तस्वीर सज्दे की जगह पर न हो तो नमाज़ दुरुस्त होगी, तस्वीर पांव रखने या बैठने की जगह पर हो तो इसमें कोई हरज़ नहीं बल्कि बिला कराहत नमाज़ दुरुस्त होगी। दुर्रे मुख़्तार में है "अगर तस्वीर दोनों कदमों के नीचे हो या बैठने की जगह हो तो नमाज़ मकरूह न होगी"। (रद्दुल मुख़्तार 417/2)

प्रश्नः कुछ मस्जिदों के बरामदे वाले हिस्से में क़बरें होती हैं, जब नमाज़ी ज़्यादा हो जाते हैं, खास तौर से जुमे में तो ऐसी जगह नमाज़ पढ़नी पड़ती है कि सामने कबरें होती हैं तो ऐसी सूरत में नमाज़ होगी या नहीं?

उत्तरः इस तरह नमाज़ पढ़ना कि सामने क़ब्र हो दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर कब्र और नमाज़ी के बीच दीवार या पटरा वग़ैरह हो तो नमाज़ दुरुस्त होगी।

प्रश्नः कुछ मस्जिदों की दीवारों पर इश्तिहारात और कलेण्डर लगे होते हैं इनका लगाना कैसा है?

उत्तरः मस्जिद की दीवार पर इश्तिहार या कलेण्डर वगैरह लगाना ठीक नहीं कि इन की इबारतों पर निगाह पड़ने से नमाजियों का ध्यान बंटता है ताहम इस तरह के इश्तिहारात या कलेण्डर वगैरह पर निगाह पड़ने से नमाज़ खराब न होगी बल्कि नमाज़ हो जायेगी।

प्रश्नः आज कल नवजवानों में बिना टोपी के नमाज़ पढ़ने का रुजहान बढ़ता जा रहा है सवाल यह है कि बिना टोपी के नमाज़ पढ़ना कैसा है?

उत्तरः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आम मामूल सर ढक कर नमाज़ पढ़ने का था अल्लामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (नमाज़ में) कभी टोपी के ऊपर अमामा पहनते और कभी सिर्फ टोपी पहनते अमामा नहीं (जादुल मआद 138/1) इसलिए फ़ुकहा ने लिखा है कि टोपी या अमामा मौजूद हो उसके बावजूद नंगे सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। (फतावा हिन्दीया 66/1) मशहूर आलिमे दीन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रह0 लिखते हैं "सही मसनून तरीक़ा नमाज़ का वही है जो आँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुसलसल साबित हुआ है बदन पर कपड़े और सर ढका हुआ हो, पगड़ी या टोपी से। (फतावा सनाइया 525/1) अलबत्ता अगर टोपी या अमामा किसी के पास न हो तो उसकी वजह से नमाज़ न छोड़े बल्कि बिना टोपी के नमाज़ अदा करले। नमाज़ हो जाएगी। लेकिन नंगे सर नमाज़ पढ़ने का मामूल बनाना मकरूह है।

प्रश्नः मस्जिद में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग शर्ट इन करके नमाज़ पढ़ते हैं क्या इस तरह नमाज़ हो जाएगी?

उत्तरः शर्ट इन करने की वजह से कमर के नीचे के आज़ा (अंगों) की बनावट ज़ाहिर हो जाती है और एक तरह की बे पर्दगी होती है जब कि नमाज़ की हालत में सत्र का खास तौर से हुक्म है इसलिए हालते नमाज़ में इस तहर की बे सत्री ना मुनासिब है, इससे बचना चाहिए अलबत्ता नमाज़ अदा हो जाएगी। (दुर्रुलमुखतार 91/1)

प्रश्नः पैंट या पायज़ामा टख़ने से नीचे लटका हो तो नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं?

उत्तरः टख़नों के नीचे लटकता हुआ कपड़ा पहनना आम हालात में भी मना है; हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि "तीन लोग वह हैं कि अल्लाह क़ियामत के दिन उनसे बात नहीं करेंगे और न उनकी तरफ रहमत की निगाह करेंगे और न उनको गुनाहों से पाक करेंगे और उनके लिए सख़्त अज़ाब होगा, उन तीनों में पहला शख़्स वह होगा जो अपने कपड़े टख़नों से नीचे लटका रखे" (सुनने अबी दाऊद, हदीस 40/88) इस तरह की हदीसों को सामने रखते हुए फ़ुकहा ने लिखा है कि पायजामा या पैंट वगैरह टख़नों से नीचे रखना मना है, मकरूह तहरीमी है और नमाज़ की हालत में ऐसा करना और ज़्यादा मकरूह और गुनाह है अलबत्ता नमाज़ हो जाएगी।

प्रश्नः हाफ शर्ट में नमाज़ अदा करना कैसा है? हाफ शर्ट में कुहनियाँ खुली रहती हैं।

उत्तरः कुहनियाँ खोल कर नमाज़ पढ़ना मकरूह और अदब के खिलाफ है, फुकहा ने सराहत के साथ लिखा है कि ऐसा करना मकरूह है मगर वह लोग जो हाफ शर्ट पहनने के आदी हैं और हर जगह उनका यही लिबास है तो उनके लिए हाफ शर्ट में नमाज़ अदा करने की गुंजाइश है। (फतावा हिन्दीया 106/1)

प्रश्नः अगर कोई शख़्स अपनी औलाद में से किसी एक को अपना पूरा मकान अपनी हयात ही में दे दे, और दूसरी औलाद को न दे तो शरीअत में इसकी गुंजाइश है? जिस लड़के को पूरा मकान दे रहे हैं वालिदैन उससे खुश हैं और जिन को नहीं दे रहे हैं उनसे वालिदैन नाखुश हैं, क्या वालिदैन के लिए ऐसा करना दुरुस्त है?

उत्तरः औलाद के दर्मियान अद्ल व मसावात (न्याय व बराबरी) ज़रूरी है, किसी को देना और किसी को न देना जुल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औलाद के दरमियान माल की तक्सीम में तफ़रीक़ (भेदभाव) से रोका है, और बराबरी का बरताव करने का हुक्म दिया है। अनुवादः अल्लाह से डरो और अपनी अपनी औलाद में इन्साफ़ (न्याय) करो। (मुस्लिमः 4181)

प्रश्नः वरसा (मृतक की छोड़ी चल अचल सम्पत्ति में हिस्सा पाने वाले) के दरमियान मीरास (मृतक की छोड़ी हुई सम्पत्ति) की तक्सीम हो और कोई चीज़ ऐसी हो जिसको तक्सीम न किया जा सके जैसे गाड़ी आदि जिसे हर एक लेना चाहता हो तो उसकी तक्सीम की क्या सूरत होगी?

उत्तरः माले मतरूक़ा (मृतक की छोड़ी हुई सम्पत्ति) में जो चीज़ तक्सीम न की जा सके जैसे गाड़ी तो उसकी

कीमत लगाएं और कुरा डाला जाए जिसके नाम चिट्ठी निकले उसे गाड़ी दे दें बाकी लोगों में क़ीमत बाँट दें। हदीस में कुरा (चिट्ठी) डालने का हुक्म मिलता है।

(मुस्लिम 286/2)

कुरा डालना = नाम निकालने के लिए चिट्ठी डालना (पाँसा डालना)।

प्रश्नः आज कल हमारे हिन्दोस्तान में लड़कियों की शादी में लड़के वालों की मांग पर काफी रक़म या जहेज़ के नाम पर काफी कीमती सामान देना पड़ता है, क्या लड़की की शादी पर खर्च की गई नक़्द रक़म या जहेज़ के सामान को मीरास के हिस्से से घटाना दुरुस्त होगा?

उत्तरः वरासत का तअल्लुक़ उस माल से है जो मोरिस की मौत के बाद बच रहे, ज़िन्दगी में लड़के या लड़कियों को जो कुछ दिया जाता है वह हिबा के हुक्म में है, हिबा की वजह से वरासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहेज़ या तिलक की रक़म वरासत में कम न की जाएगी और लड़कियों को वरासंत में पूरा पूरा हक़ मिलेगा।

(बदाये सनाये 9/5)

प्रश्नः एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ जिसकी कोई औलाद नहीं है वारिसीन में बीवी और भाई हैं, मोरिस (वह मृतक जो समपत्ति छोड़े) के पास एक ज़ाती मकान है, इस मकान में बीवी का कितना हिस्सा होगा? शौहर ने महर अदा नहीं किया था, क्या महर के बक़द्र मकान में हिस्सा मिलेगा?

उत्तरः मोरिस ला वल्द है और वरसा में बीवी और भाई हैं तो बीवी का हिस्सा एक चौथाई होगा बकीया भाइयों को मिलेगा लेकिन विरासत की तक्सीम से पहले महर अदा करना वाजिब है, मकान की कीमत लगाई जाएगी महर की कीमत के बराबर बीवी के देने के बाद बाक़ी रक़म चार हिस्सों में तक्सीम होगी एक हिस्सा बीवी को मिलेगा और बाक़ी तीन हिस्से भाइयों को मिलेंगे, गोया बीवी को महर की रक़म मिलेगी और बाक़ी में एक चौथाई रक़म मिलेगी। कुर्आने मजीद में है अनुवादः अगर औलाद न हो तो तुमने जो कुछ छोड़ा है उसमें बीवियों को एक चौथाई हिस्सा मिलेगा।

महर = वह धन जो निकाह़ के वक्त बीवी को देने के लिए शौहर पर वाजिब (अनिवार्य) किया जाता है।

प्रश्नः एक औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसके वरसा में सिर्फ एक लड़का और शैहर है, माले मतरूक़ा की तक्सीम कैसे होगी?

उत्तरः औरत के ज़िम्मे अगर कर्ज़ हो तो उस की अदायगी के बाद फिर अगर वसीयत की हो तो एक तिहाई में वसीयत ज़ारी करने के बाद बाक़ी माल में शौहर को एक चौथाई हिस्सा मिलेगा, बाकी लड़के को मिलेगा। कुर्आन मजीद में है अनुवादः अगर औलाद हो तो तुम को एक चौथाई हिस्सा मिलेगा बीवी के छोड़े हुए माल में वसीयत और कर्ज़ अदा करने के बाद।

(अन्निसाः 121)

वर्तमान समाज के .....

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक दिलों में ख़ौफ़े ख़ुदा (ईश भय) न आएगा अपराध दूर न होंगे।

अतः जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जगत के निर्माता पर विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि जग का निर्माता जहाँ बड़ा कृपालू तथा महा दयालू है वहीं वह अपराधों तथा पापों पर कठोर दण्ड देने वाला भी है वह लोग इस विश्वास तथा इस सत्य को जन–जन तक पहुँचाऐं। ❑❑

दुरूद व सलाम.....

इमाम मालिक, सुफ़ियान और बहुत से फ़ुक़हा–ए–मुतक–ल्लिमीन ने इख़्तियार किया है कि सलात व तसलीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और दूसरे अम्बिया के लिए मख़सूस है ग़ैर नबी के लिए जाइज़ नहीं, जैसे लफ़्ज़ सुब्हानह, और तआला, अल्लाह जल्ले शानहू के लिए मख़सूस हैं, अम्बिया के सिवा आम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत और रज़ा की दुआ होना चाहिए, जैसे क़ुर्आन में सहाबा के मुतअल्लिक़ आया "रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हू" (रुहुलमआनी)।

दुरूद

1. अल्ला हुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अ़ला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम्

2. अल्लाहुम्मा सल्लि अ़ला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिंव्व अ़ला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। ❑❑

इस्लाम और महिला.....

औरत का हक़ीक़ी हुस्न (वास्तविक सुन्दरता) और उसकी क़द्र व क़ीमत हया शर्म और पाक दामनी में है। जिसकी हिफ़ाज़त की ज़मानत क़ुर्आनी तालीमात की रौशनी में पोशीदा है। आज की मग़्रिबी तहज़ीब (यूरोपीय सभ्यता) ने औरतों की आज़ादी और मसावात (समानता) का ढोंग रचा कर आदम की बेटियों की इज़्ज़त दाओं पर लगा दी और खुले बाज़ार उसको रुस्वा कर दिया।

इस्लाम दीने फ़ितरत (प्राकृतिक दीन) है जिसने इन्सानों के जज़बात और ज़रूरियात का पूरा लिहाज़ रखा है लेकिन उसने इन्सान और हैवान में फ़र्क किया है, उसने आदम की औलाद को मर्द हों या औरत ख़ुशकी व तरी में इज़्ज़त बख़शी है।

अगर आप वाकई (वास्तविक रूप से) चाहते हैं और अपने मुतालिबे में संजीदा हैं कि समाज में माँ की इज़्ज़त की जाये, बेटियों की इज़्ज़त की जाये और उनको उनका सही मक़ाम मिले तो आपको अल्लाह की आख़िरी किताब क़ुरआन मजीद और अल्लाह के आख़िरी रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात की रौशनी में अपनी ज़िन्दगी का सफ़र तै करना होगा।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रहती दुनिया तक के लिए मोहसिने इन्सानियत और मोहसिने आलम (मानव उपकारी, विश्व उपकारी) हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तबक–ए–निसवाँ (महिला वर्ग) को क्या दिया? इस सिलसिले में सिर्फ़ एक शेर पढ़ कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।

औरत को हया की चादर दी।
ग़ैरत का ग़ाजा भी बख़शा।।
शीशों में नज़ाकत पैदा की।
किरदार के जौहर चमकाये।।

❖❖❖

तेरहवाँ वर्ष

—सम्पादक

अलहम्दु लिल्लाह, सच्चा राही ने अपनी सेवाओं के बारह वर्ष पूरे किये और तेरहवें वर्ष में प्रवेश किया। नदवतुल उलमा के बड़ों ने माली लाभ उठाने के लिए सच्चा राही का संचालन नहीं किया था अपितु उनका उद्देश्य यह था कि अपने जो भाई केवल हिन्दी भाषा जानते हैं उन तक नदवतुल उलमा का संदेश पहुंचे, और नदवतुल उलमा का सन्देश इस्लाम ही का सन्देश है जो विभिन्न शैलियों द्वारा अपने भाइयों तक पहुंचाया जाता है, कभी सीधे अल्लाह के कलाम कुर्आने मजीद द्वारा, कभी अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों द्वारा, कभी ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा कभी सामाजिक आदर्शों के उल्लेखों द्वारा, तात्पर्य यह है कि नदवतुल उलमा अपनी अरबी, उर्दू, अँग्रेज़ी तथा हिन्दी पत्रिकाओं द्वारा अपने पाठकों में इस्लामी स्वभाव, इस्लामी संस्कृति, इस्लामी आस्था का प्रचार करता है, मानव कल्याण उसका लक्ष्य है, देश प्रेम, मानव प्रेम उसका उद्देश्य है अतः वह मानवता का संदेश वाहक है, आप सच्चा राही के पृष्ठों पर यही सब पायेंगे।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि सच्चा राही का संचालन धन कमाना नहीं केवल देश, समाज और मानवता की सेवा है, परन्तु नदवतुल उलमा यह ज़रूर चाहता रहा है कि इससे भले ही लाभ न मिले मगर यह अपने पैरों खड़ा तो हो जाए लेकिन यह बात बारह वर्षों में कभी भी न हो पाई और नदवतुल उलमा इस का घाटा बराबर सहन करता चला आ रहा है।

सच्चा राही का वार्षिक घाटा एक लाख रूपयों से अधिक है जिसे नदवतुल उलमा पूरा करता है यदि हमारे पाठक इस ओर ध्यान दें तो यह घाटा समाप्त हो सकता है। मैंने स्वयं करके देखा है ऐसा मुसलमान जो केवल हिन्दी जानता है और उसे इतनी हिन्दी आती है कि वह पत्रिकाओं को पढ़ और समझ लेता है, दूसरी बात यह कि उसका कुछ धर्म से लगाव है और समाज की बुराइयों से चिन्तित है, तीसरे उसकी जेब में गुंजाइश है तो वह सच्चा राही का ग्राहक बनने में ज़रा भी संकोच नहीं करता तुरन्त ग्राहक बन जाता है, मैंने तो कई हिन्दु भाइयों को पाया कि उन्होंने जब सच्चा राही देखा और उसके कुछ पृष्ठों पर निगाह डाली तो उसकी मांग करने लगे। यदि हमारे पाठक इस ओर ध्यान दें तो सच्चा राही का घाटा दूर हो सकता है साथ ही उनको इसकी अच्छी बातों के प्रचार का सवाब भी मिलेगा। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पाठक सच्चा राही के घाटे की सूचना से हम से अधिक चिन्तित होंगे और अवश्य इस विषय में भर पूर सहयोग देंगे। साथ ही हम अपने पाठकों से यह भी आशा करते हैं कि वह हमारी भूल

एलाने मिलकियत व अन्य विवरण फार्म-4 नियम-8

प्रकाशन का स्थान	—	मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, नदवतुल उलमा, बादशाहबाग, लखनऊ
प्रकाशन अवधि	—	मासिक़
सम्पादक	—	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
राष्ट्रीयता	—	भारतीय
पता	—	अहाता दारूल उलूम, नदवतुल उलमा, लखनऊ
मुद्रक एवं प्रकाशक	—	अतहर हुसैन
राष्ट्रीयता	—	भारतीय
पता	—	21, अदनान पल्ली निकट हिरा पब्लिक स्कूल, रिंग रोड, दुबग्गा, डाक घर, काकोरी, लखनऊ
मालिक का नाम	—	मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ

मैं, अतहर हुसैन प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास व जानकारी में सही हैं।

चूक को क्षमा करते हुए अपने लाभदायक परामर्शों से वंचित न करेंगे। सच्चा राही का एक स्थाई शीर्षक "आपके प्रश्नों के उत्तर" है, हम इस शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्रकाशित करते हैं जिनको अपने पाठकों के लिए लाभदायक समझते हैं और हम प्रश्न करने वाले का नाम और पता नहीं छापते और इसी को उचित जानते हैं। हम अपने लेखकों से बराबर अनुरोध करते रहे हैं कि वह सरल तथा स्पष्ट लिखें। नये लेखक एक लाइन छोड़ कर लिखें ताकि यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो जगह की कठिनाई न आए।

अपने आदरणीय लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वह यदि आलिम न हों और इस्लामियात पर पूरी नज़र न हो तो वह कुर्आने मजीद की आयत या किसी हदीस को शीर्षक बना कर लिखने में बहुत समझ बूझ और तहकीक़ से काम लें, उनके लिए माने हुए महापुरुषों के हालात, शिक्षाप्रद ऐतिहासिक घटनाएं, टेक्नालोजिक ज्ञान तथा सूचनाएं, भूगोल, विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे शीर्षक अपनाएं जिनको हमारे पाठक समझ सकें तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हो।

हम चाहते हैं कि विज्ञान के स्कालर अथवा क्षात्र अपने ज्ञान से हमारे पाठकों को लाभ पहुँचाएं, यह बात भी ज्ञात रहे कि हम अपने लेखकों से अल्लाह वास्ते का सहयोग लेते हैं, हम अपने आदरणीय लेखकों को दुआ के अतिरिक्त कोई मेहनताना प्रस्तुत नहीं करते हैं। अल्लाह हमारे लेखकों तथा समस्त सहयोगियों को भरपूर बदला देगा।

❖❖❖

नदवतुल उलमा

पो0 बा0 93, टैगोर मार्ग
लखनऊ 226007 यू0 पी0 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس/۹۳، ٹیگور مارگ،
لکھنؤ ۲۲۶۰۰۷ یوپی (بھارت)

दिनांक 10/11/13 باسمہ تعالیٰ تاریخ ۵/محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

अहले ख़ैर हज़रात से अपील

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा, हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी खिदमात में मस्रूफ़ है, और तालिबाने उलूमे नुबुव्वत जूक़ दर जूक़ आ आ कर इस सरचश्मए इल्म से फैजियाब हो रहे हैं, तलबा की कसरत की वजह से दारुलउलूम की मस्जिद तंग हो गई है, बारिश या धूप में तलबा को बहुत तकलीफ होती है, इस सूरते हाल को देख कर अल्लाह तआला की मदद के भरोसे पर मस्जिद की मजीद तौसी का फैसला किया गया है।

मस्जिद दारुलउलूम के वसी सहेन के नीचे बेसमेन्ट और सहन पर छत डाल कर उसके ऊपर एक मंजिल तामीर करने का मंसूबा है, जिस पर ₹ 1,94,59,700/— ख़र्च का तख़्मीना है, जो इंशाअल्लाह अहले ख़ैर हज़रात के तआवुन से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम जरूरत की तरफ फौरी तवज्जुह फरमाएंगे और नदवतुलउलमा के कारकुनों का हाथ बटाएंगे और मस्जिदों की तामीर में अल्लाह ने जो अज्र व सवाब रखा है उसके मुस्तहिक बन सकेंगे, रसूले अकरम सल्ल0 का इरशाद गिरामी है कि:—

"जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर कराएगा, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर तामीर कराएगा"।

मौ0 मुफ़्ती मु0 ज़हूर नदवी
(नाएब नाज़िम, नदवतुल उलमा)

मौ0 मु0 वाज़ेह रशीद नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)

प्रो0 अतहर हुसैन
(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)

मौ0 सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
(मोहतमिम, दारुलउलूम नदवतुल उलमा)

मौ0 मु0 हमज़ा हसनी नदवी
(नाज़िरे आम, नदवतुल उलमा)

चेक/ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।
NADWATUL ULAMA
A/C NO. 10863759733
(State Bank of India Main Branch, Lucknow)

और इस पते पर भेजें।
NAZIM NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW-226007 (U.P.)

Phone : (+91-0522) 2741316, 2740151 / Fax : (+91-0522) 2741023, 2741231
E-mail address : nadwa@sancharnet.in / Website : www.nadwatululama.org.

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

हिन्दुत्व की रक्षा के लिए पाँच बच्चे पैदा करें–

एक ओर जहाँ दुनिया बढ़ती जनसंख्या से चिंतित है और इसके नियंत्रण के लिए दिन–रात जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वहीं संत समाज ने जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है। अलोपीबाग स्थित शंकराचार्य आश्रम में सोमवार को हुए 'विराट हिन्दू सम्मेलन' में स्वामी नरेंद्रानन्द सरस्वती ने जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि दो नहीं पाँच बच्चे पैदा करिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुत्व को मजबूत करने के लिए यह सद्कदम उठाएं। हिन्दू घटा और बंटा तो राष्ट्र की शक्ति और सीमाएं कमजोर हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दो को आप पालिए, बाकी तीन को उनके आश्रम से सुविधाएं मिलेंगी।

बाबाओं से बचने को वैज्ञानिक शिक्षा ज़रूरी–

भारत का अतीत गौरवशाली रहा है लेकिन, तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में आज देश में बाबाओं का बोलबाला है। मैकाले ने इस देश में बाबू तैयार करने को शिक्षा व्यवस्था लागू की। हमें अपनी शिक्षा को वैज्ञानिक और तार्किक बनाना होगा। यह बाबाओं से बचने के लिए भी ज़रूरी है।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती वि0वि0 के दीक्षांत समारोह में यह बात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मारकण्डेय काटजू ने कही। काटजू ने आधुनिक धर्मगुरुओं की चर्चा करते हुए उनकी कार्यशैली पर तीखे व्यंग किए। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि 'एक बाबा हैं, अगर पति–पत्नी में तकरार हो जाए तो यह गोलगप्पे और समोसे खाने की सलाह देते हैं एक बाबा हैं वह सोने के सपने दिखाते हैं।

अच्छी सेहत के लिए बढ़ाएं मेलजोल–

मित्रों से खूब मिलना–जुलना सेहतमंद साबित होता है। एक शोध के मुताबिक इसके लिए हफ्ते में दो मुलाकातें ही काफी होती हैं। मनोवैज्ञानिक रोबिन डनबर का दावा है कि सप्ताह में दो दिन कम से कम चार प्रगाढ़ मित्रों के साथ बिताने चाहिए।

रिपोर्ट दर्शाती है कि सामाजिक समूह बनाने और उसे बरकरार रखने वाले पुरुष, बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। सोशल मीडिया, मैसेज और फोन के जरिये पुरुष अपने दिन का पांचवा हिस्सा समूह के लोगों से बातचीत करने में बिताते हैं। शोध के मुताबिक मजबूत संबंधों से होने वाले फायदे उठाने के लिए व्यक्ति को मेलजोल बढ़ाना चाहिए।

आम चुनाव 2014 एक नज़र

- 78 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
- 08 लाख से अधिक मतदान केन्द्रों पर होगा मतदान
- 11 लाखा 80 हज़ार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का होगा प्रयोग
- 16 वें आम चुनाव के जरिए 543 सदस्यों को चुना जाएगा
- 07 चरणों तक में कराए जा सकते हैं आम चुनाव
- 01 माह के भीतर प्रकाशित हो जाएगी नई मतदाता सूची
- 2009 में हुए थे पाँच चरणों में चुनाव 15वीं लोकसभा के लिए 2009 में हुए आम चुनाव पाँच चरणों में कराए गए थे। 16 अप्रैल से 13 मई के बीच देश के अलग–अलग हिस्सों में आम चुनाव हुए थे। ❑❑